



**Government of India
Ministry of Railways
Railway Recruitment Boards**



**Detailed Centralized Employment Notification
CEN 02/2018**



Recruitment for various Posts in Level – 1 of 7th CPC Pay Matrix





GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF RAILWAYS

RAILWAY RECRUITMENT BOARDS



CENTRALISED EMPLOYMENT NOTICE (CEN) No.02/2018

(Recruitment for Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix)

Date of publication: 10.02.2018.

Date & Time of Closing: 12.03.2018 up to 23.59 Hrs.

Computer Based Test (CBT): Tentatively scheduled during April and May, 2018.

Railway Recruitment Boards invite ONLINE applications from eligible candidates for the recruitment of various posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix for the vacancies in various units of Indian Railways. Applications complete in all respect should be submitted **ONLINE ONLY** to any one of the Railway Recruitment Boards before 23.59 hrs of 12.03.2018.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

Candidates should ensure that they possess/fulfill all eligibility conditions prescribed for the post(s) as on the closing date for submitting application. **CANDIDATES WAITING FOR RESULTS OF PRESCRIBED EDUCATIONAL QUALIFICATION SHOULD NOT APPLY.**

- 1) **Applications are to be submitted ONLINE through RRB websites ONLY listed at Para 20.0 of this CEN.** One application ONLY is required to be submitted to the selected RRB for all its notified posts in this CEN. Candidates can apply to only one RRB. Any attempt to submit more than one application by a candidate against this CEN shall result in disqualification and debarment.
- 2) **Eligibility of the candidates will be considered only on the strength of the information furnished in the ONLINE Application.** Candidates need NOT send printouts of application or Certificates or copies to RRBs concerned by post. If at any stage of recruitment or thereafter, it is found that any information furnished by the candidate in his/her application is false/incorrect or the candidate has suppressed any relevant information or the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post(s), his/her candidature will be rejected forthwith.
- 3) Candidates are required to go through the vacancy table, ascertain their eligibility and then exercise options for the RRBs and post(s) within the RRB chosen as per their eligibility. **The selection of RRB once exercised shall be final.**
- 4) Candidates must ensure that they fulfill the prescribed medical standards for the post(s) they are opting for. Candidates who are found medically unsuitable for the opted post(s) shall not be given any alternative appointment.
- 5) **Scale of pay:**
Level 01 of 7th CPC Pay Matrix with initial pay of ₹18000/- plus other allowances admissible at that time.
- 6) Age (as on 01.07.2018): 18 - 31 Years - Refer para 5.1 for age relaxations.
- 7) **Stages of Exam:** There shall be a Computer Based Test (CBT). Candidates qualified in the CBT shall have to undergo Physical Efficiency Test (PET). Marks will be normalized in the CBT.
- 8) **Negative Marking:** There shall be negative marking for incorrect answers in the CBT. 1/3rd of the marks allotted for each question shall be deducted for wrong answer.
- 9) Electronic gadgets like Mobile phones, bluetooth, pen drive, laptops, calculators, wrist watches or any other communication devices or pen/pencil are strictly NOT allowed inside the exam hall. Any infringement of this instruction shall entail summary rejection besides legal action including debarment from future examinations.
- 10) Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned items including mobile phones etc. to the venue of the examination, as arrangements for safe keeping cannot be assured.
- 11) **Candidates should have their own mobile number and valid & active personal email id and keep them active for the entire duration of recruitment as RRBs shall send all recruitment related communications only through SMS and email till the recruitment is completely over. RRBs will not entertain any request for change of mobile number and e-mail address at any stage.**
- 12) Before filling up of the online application, candidates are advised to thoroughly read the entire instructions and information in the CEN available on the websites of RRBs.

Candidates are advised to visit only official websites of the RRBs indicated at Para 20.0 of this CEN and be very cautious about fake websites and job racketeers.

1.0 GENERAL INSTRUCTIONS

- 1.1 Admission to all stages of recruitment process shall be purely provisional, subject to the candidates satisfying the prescribed eligibility conditions.
- 1.2 Mere issue of e-call letter to the candidates will NOT imply that their candidature has been finally accepted by the RRB.

- 1.3** RRBs conduct verification of eligibility conditions with reference to original documents only after the candidates have qualified in all the stages of examinations and are shortlisted for Document Verification. RRBs may reject the candidature of any applicant at any stage of recruitment process in case the candidate is found to be not fulfilling the requisite criteria and if appointed, such a candidate shall be removed from service summarily.
- 1.4** Before applying for the post(s) against this notification, candidates should satisfy themselves that they fulfill all the eligibility norms including age, educational qualification(s) and medical standard(s). Candidates should ensure that they have requisite qualifications from recognized Board/Institute as on the date of Closure for submission of the application for this CEN. **Those awaiting results of the final examination for the prescribed qualification are not eligible and hence should not apply.**
- 1.5** Candidates attempting to apply with minor changes of information and/or facts to more than one RRB and/or multiple applications to the same RRB will be summarily rejected and such candidates will be debarred from all future examinations of RRB.
- 1.6** Candidates who have been debarred by any RRB/Railway Recruitment Cell (RRC) either for life or for a specified period which is not yet completed should NOT apply for this notification. Their candidature will be rejected during any stage of recruitment as and when detected.
- 1.7** **Candidates should enter their Name, Father's Name and Date of Birth as recorded in the SSLC/Matriculation Certificate only. However, candidates with ITI/NAC qualification alone can enter these details as per the ITI/NAC certificates.**

In cases of name change, candidates should indicate their changed Name only in the ONLINE application. However, other details should match with the Matriculation or Equivalent certificate. Date of such change (or) application for such change should be prior to the date of submission of ONLINE application.

Gazette Notification or any other legal document as applicable for such cases should be submitted at the time of Document Verification (DV).

- 1.8** Signatures of the candidates on all documents should be identical, either in English or Hindi, and must be in running hand writing and not in block/capital or disjointed letters. Signatures in different style or language at the time of CBT, PET and DV etc. may result in cancellation of candidature.
- 1.9** Dates of examinations will also be published on the websites of participating RRBs. Thereafter, e-Call letters for the CBT, PET and DV (as applicable) should be downloaded ONLY from websites of the RRBs concerned. The exam centre, date and shift indicated in the call letter shall be final.
- 1.10** Vacancies indicated in the CEN are provisional and may increase or decrease or even may become NIL in total or in specific communities/posts/units at a later stage depending upon the actual needs of the Railway Administration. Also, additional posts if required by the railway(s) may also be included at later stage. RRBs reserve the right to introduce additional CBTs and/or PET, additional DV etc. without assigning any reason.
- 1.11** On completion of all stages of recruitment process, RRBs shall allot post & Railway as per the option of the candidates ONLY subject to merit, medical standard and vacancy position. Once candidates have been empanelled as per their merit/choice, they will forfeit the right to be considered for any other post/category.

However RRBs also reserve the right to allot post/Railway/Unit not opted by the candidates, if considered necessary in administrative interest, subject to the candidate(s) meeting the requirements of the post concerned.

- 1.12** Selection by RRB does not confer upon the candidates any right of appointment in the Railways. The function of the RRB is to recommend names of suitable candidates to the concerned authorities of the Zonal Railway who in turn issue the offer of appointment letter subject to availability of vacancies and satisfying all eligibility criteria including antecedents and character.
- 1.13** Selected candidates have to execute Security and/or Indemnity Bond wherever necessary.
- 1.14** Ordinarily, a Railway servant shall be employed throughout his/her service on the Railway or Railway establishment to which he/she is posted on first appointment and shall have no claim as a right for transfer to another Railway or another establishment. In the exigencies of service, however, it shall be open to the Competent Authority to transfer the railway servant to any other department or Railway or Railway establishment including a project in or out of India.
- 1.15** Selected candidates who are finally appointed are liable for active service in Railway Engineers' Unit of Territorial Army.

1.16 Free Sleeper Class Railway Pass admissible to SC/ST candidates will be part of e-call letter when they are called for various stages of selection viz. CBT /PET /DV (as applicable) as per the details of valid caste certificate furnished in ONLINE application.

At the time of obtaining reservation and travelling, the Reservation Clerk and/or Ticket Checking Staff will ask for the original SC/ST community certificate for verification of genuineness of the candidate. Any attempt to misuse this travelling authority shall lead to rejection of candidature at any stage of the selection process including debarment for future examinations.

1.17 RRBs reserve the right to incorporate any subsequent changes/ modifications/ additions in the terms & conditions of recruitment under the CEN as necessitated and applicable.

1.18 RRBs may share, with the consent of the candidates, the scores obtained by them in RRB exams with other Ministries/Departments/Public Sector Undertakings (PSU) and Private organizations, for recruitment in their organizations. Candidates may give their consent for the same, or otherwise, in the ONLINE application.

1.19 To avoid last minute rush, candidates are advised in their own interest to submit ONLINE application much before the closing date since there may be a possibility of inability/failure to log on to the website of RRB concerned on account of heavy load on the internet or website during last days.

RRBs do not accept any responsibility for the candidates not being able to submit their application within the last day on account of aforesaid reasons or any other reason.

2.0 Vacancies

The RRB wise and Railway wise summary of vacancies for various posts is furnished below for immediate reference. Further, the parameters(Qualification, Medical standard and Suitability of the post for PWD etc) of various posts included in the CEN is at Annexure A and the RRB, Railway and post wise vacancy for all the notified posts is at Annexure B.

RRB Wise Railway Wise Summary of Vacancies												
Sl. No.	RRB	Rly	UR	SC	ST	OBC	Total	Ex SM	CC AA **	VH	OH	HH
1	Ahmedabad	WR	3056	901	477	1653	6087	1216	1216	1	95	175
2	Ajmer	NWR	2493	704	360	1198	4755	860	860	0	9	1
3	Allahabad	NCR	2533	736	352	1141	4762	952	952	0	15	4
4	Bangalore	SWR	1184	346	167	596	2293	457	457	3	13	8
5	Bhopal	WCR	1772	493	296	961	3522	702	702	0	1	0
6	Bhubhaneshwar	ECOR	783	245	158	346	1532	305	305	0	3	0
7	Bilaspur	SECR	587	168	87	317	1159	232	232	0	2	2
8	Chandigarh	NR	3955	1174	590	2113	7832	1547	1547	0	18	11
9	Chennai	SR	1550	431	332	666	2979	597	597	0	12	8
10	Gorakhpur	NER	1686	500	276	926	3388	676	676	0	5	3
11	Guwahati	NFR	1304	384	193	696	2577	515	515	0	0	8
12	Kolkata	ER	1155	355	203	654	2367	473	473	0	0	1
13	Mumbai	CR	2321	675	393	1236	4625	924	924	5	47	45
14	Patna	ECR	3016	899	450	1614	5981	1198	1198	0	25	14 *
15	Ranchi	SER	1240	426	197	662	2525	503	503	0	0	0
16	Secunderabad	SCR	3254	1016	530	1723	6523	1288	1288	53	71	71
			31889	9453	5061	16502	62907	12445	12445	62	316	351 *

* : Includes 2 HH backlog vacancies

** : Vacancies under CCAA are applicable to Apprentices trained in Railway Establishments only.

3.0 MEDICAL STANDARDS FOR THE POSTS

Candidates called for DV will have to pass requisite medical fitness test(s) conducted by the Railway Administration to ensure that the candidates are medically fit to carry out the duties connected with the post(s) opted by them. Visual Acuity Standard is one of the important criteria of medical fitness of railway staff. The medical requirements against different medical standards for different categories are outlined below:

SL. NO	MEDICAL STANDARD	GENERAL FITNESS	VISUAL ACUITY
1	A-2	Physically fit in all respects	Distant Vision: 6/9, 6/9 without glasses (No fogging test) Near Vision: Sn. 0.6, 0.6 without glasses and must pass tests for Colour Vision, Binocular Vision, Night Vision, Mesopic Vision etc
2	B-1	Physically fit in all respects	Distant Vision: 6/9, 6/12 with or without glasses (power of lenses not to exceed 4D) Near Vision: Sn. 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required and must pass test for Colour Vision, Binocular Vision, Night Vision, Mesopic Vision etc
3	B-2	Physically fit in all respects	Distant Vision: 6/9, 6/12 with or without glasses (power of lenses not to exceed 4D). Near Vision: Sn. 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required and must pass test for Binocular Vision etc
4	C-1	Physically fit in all respects	Distant Vision: 6/12, 6/18 with or without glasses. Near Vision: Sn. 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required.

Note: The above medical standards are indicative and not exhaustive and apply to candidates in general. **The candidates are advised to read Chapter 5 of Indian Railway Medical Manual Vol.I which can be accessed at www.indianrailways.gov.in.** Candidates who have undergone Lasik surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having Medical Standards A2, B1 and B2.

Different Medical standards shall apply to Ex-Servicemen as detailed in Para 534 of Indian Railway Medical Manual (IRMM) Volume I, which may be accessed at www.indianrailways.gov.in.

Important

Candidates are advised to ensure that they are eligible as per the medical standards for the posts opted by them. Those who are opting for A2 medical standard posts may note that these posts have stringent medical standard and hence they are specifically advised to ensure that their fitness both in terms of vision as well as physical standards is as per the prescribed requirements in the medical manual indicated above.

4.0 NATIONALITY/CITIZENSHIP:

(i) A candidate must be either:

- a citizen of India, or
- a subject of Nepal, or
- a subject of Bhutan, or
- a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.
- Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(ii) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5.0 AGE LIMIT: 18 to 31 years.

The lower and upper age limit indicated for a particular post(s) in the vacancy table will be reckoned as on 01.07.2018.

5.1 The relaxation in upper age limit / maximum upper age for the following categories/communities in the table below is applicable subject to submission of requisite certificates.

Sl. No.	COMMUNITY/CATEGORIES		RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT (OR) MAXIMUM UPPER AGE
1	SC/ST candidates		5 Years
2	OBC-Non Creamy Layer candidates		3 Years
3	Ex-Servicemen candidates who have put in not less than 6 months continuous service after attestation		Up to the extent of service rendered in Defence plus 3 years
4	Persons With Disabilities (PWD) UR		10 Years
	PWD OBC-Non Creamy Layer		13 Years
	PWD SC/ST		15 Years
5	Candidates ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from 01.01.1980 to 31.12.1989		5 Years
6	Candidates who are serving Group 'C' and Erstwhile Group 'D' Railway Staff, Casual Labour and Substitutes in Railways who have put in minimum of 3 years service (continuous or in broken spells)	UR	40 Years of age
		OBC- Non Creamy Layer	43 Years of age
		SC/ST	45 Years of age
7	Candidates who are working in Quasi-Administrative offices of the Railway organization such as Railway Canteens, Co-operative Societies and Institutes		Up to the length of service rendered (or) 5 Years, whichever is lower.
8	Women candidates, who are widowed, divorced or judicially separated from husband but not remarried.	UR	35 Years of age
		OBC-NCL (Non Creamy Layer)	38 Years of age
		SC/ST	40 Years of age
9	Course Completed Act Apprentices applying for the posts for which minimum qualification is ITI/Course Completed Act Apprenticeship.		Shall be relaxed to the extent of Apprentice Training undergone by them under the Apprentice Act 1961.
10	Candidates who have commenced Act Apprentice under the Apprenticeship Act before attaining the age of 25 years	UR	35 Years of age
		OBC-NCL (Non Creamy Layer)	38 Years of age
		SC/ST	40 Years of age

5.2 Date of birth of candidates should be between the dates given below: (Both dates inclusive)

Sl No	Age Group	Upper limit of Date of Birth (Not earlier than)			Lower limit of Date of Birth (Not later than)	Remarks*
		UR	OBC-Non Creamy Layer	SC/ST	For all community / categories	Candidates belonging to community/categories in the table at para 5.1 shall be eligible for age relaxation as applicable. Note. The date of birth limits for SC/ST & OBC-NCL given in this table includes community age relaxation.
1	18 to 31	02.07.1987	02.07.1984	02.07.1982	01.07.2000	

***If a candidate is eligible for relaxation of age on more than one ground, he/she would be accorded the highest of the age relaxations (not cumulative) for which he/she is eligible.**

5.3 No age relaxation is allowed to SC/ST/OBC-NCL (Non Creamy Layer) candidates applying against unreserved vacancies.

5.4 PWD candidates applying against UR vacancies will be allowed age relaxation applicable for UR PWD only.

NOTE: Candidates should note that the date of birth filled in this application should be same as recorded in the Matriculation /SSLC or an equivalent certificate. No subsequent request for its change will be considered.

6.0 EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:

Candidates should have the Educational/Technical qualifications indicated against the notified posts in the CEN from recognized Board/NCVT/SCVT as on the closing date for submission of the ONLINE application. Refer to Annexure-A for the prescribed qualification against each of the posts. **Those awaiting results of the final examination of the prescribed educational/technical qualification SHOULD NOT apply.**

Diploma/Degree in Engineering will not be accepted in lieu of course completed Act Apprenticeship / ITI. Also, Graduate Act Apprentice will not be accepted in lieu of Course Completed Act Apprenticeship.

7.0 EXAMINATION FEE

Candidates applying for the posts in this CEN have to pay the prescribed fee as per their category detailed

SL. No.	Candidate Categories	Fee
1	For all candidates except the fee concession categories mentioned below at SI No 2	₹ 500/-
2	For Candidates belonging to SC / ST / Ex-Serviceman / PWDs / Female / Transgender / Minorities / Economically backward class. *This fee of ₹ 250 shall be refunded duly deducting bank charges, on appearing in CBT.	₹ 250/-*

7.1 MODES OF PAYMENT OF FEE:

a. ONLINE fee payment through internet banking or debit/credit cards upto 12.03.2018 till 22.00 Hrs.

b. OFFLINE fee payment through

i. SBI Bank Challan Payment mode closes on 12.03.2018 at 13.00 Hrs in any branch of SBI.

ii. Post Office Challan Payment mode closes on 10.03.2018 at 13.00 Hrs in any branch of computerized Post Office.

All applicable service charges shall be borne by the candidate. If the fee is paid through off line mode viz (b) i & ii above, the receipt should be preserved. The same should be produced on demand at the time of DV.

7.2 Minorities include Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Zoroastrians (Parsis) subject to revision/deletion/inclusion if any received till the closing date of this CEN.

Minority candidates claiming waiver of examination fee will be required to furnish, at the time of DV, 'Minority Community Declaration' affidavit on non-judicial stamp paper that they belong to any of the above minority communities, failing which their candidature will be rejected.

7.3 Economically Backward Class (EBC) candidates are those whose annual family income is less than ₹. 50,000/. Such candidates should have valid income certificate in the prescribed format or on the letterhead of the Issuing Authority to this effect and submit the same at the time of DV. Candidates having BPL card and Izzat MST are also eligible for fee concession under EBC and all these candidates seeking fee concession should fill in the relevant details in the ONLINE application.

7.4 Candidates eligible for refund of examination fee of ₹250/- should provide details of beneficiary account in which they would like to receive the refund viz., Beneficiary name, Bank Name, Account No. and IFSC code in the online application the refund of fee will be made duly deducting the bank charges on appearing in the CBT.

8.0 VERTICAL RESERVATION

8.1 This CEN provides for Vertical Reservation for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Class (OBC)- Non Creamy Layer(NCL), wherever applicable and admissible, and as communicated by the Indenting Railways under extant rules, as mentioned in the vacancy table.

8.2 All candidates, irrespective of community may be considered against UR vacancies, subject to fulfillment of parameters for UR candidates. However against the vacancies earmarked for specific communities (SC/ST/OBC-NCL), only candidates belonging to that community will be considered.

- 8.3** For availing reservation, SC/ST/OBC-NCL candidates should furnish at the time of document verification Caste Certificate from competent authorities as per the format given at Annexure-I (for SC/ST candidates) and Annexure-II (for OBC-NCL candidates).

In case of OBC-NCL candidates, the certificates should specifically indicate that the candidate does not belong to the Persons/Sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule of the Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No.36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08.09.93 & its subsequent revision through O.M.No.36033/3/2004-Estt. (Res) dated 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 and further revision if any received till the closing date of this Centralized Employment Notice. The candidate should ensure that he/she belong to the OBC- Non Creamy Layer category while applying for the posts against this notification. Such candidate should produce a valid OBC certificate in the prescribed format during DV. Further, in addition to the community certificate (OBC), a declaration in the prescribed format has to be furnished by the candidate during DV, that he/she does not belong to the creamy layer. Otherwise, their claim for reserved status (OBC-NCL) will not be entertained and the candidature / application of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions for General (Un-reserved) category, will be considered under General (UR) vacancy only.

- 8.4** Candidates belonging to SC/ST/OBC-NCL who fulfill required Educational Qualification/Technical Qualifications can also apply against UR vacancies.

They will however, have to compete with the UR candidates and will not be eligible for any relaxation including age to such SC/ST/OBC-NCL candidates applying against UR vacancies. However, candidates have to indicate their actual community in the application.

- 8.5** Community status as on the closing date of CEN shall only be considered for availing reservation benefits if eligible and any change in the community status of the candidate thereafter shall not be entertained.

9.0 HORIZONTAL RESERVATION:

- 9.1** This CEN provides for horizontal reservation for Ex-Servicemen (ExSM), Course Completed Act Apprentices (CCAA) trained in Railway Establishments and Person With Disabilities(PWD) irrespective of their community.

- 9.2** Vacancies for ExSM, CCAA trained in Railway Establishments and PWD wherever given in the vacancy table are not separate but are included in the total number of vacancies.

- 9.3** Wherever vacancies for PWD are shown separately without any community wise allotment, those vacancies are separate and not part of regular vacancies.

- 9.4** ExSM candidates may also apply against regular vacancies of any post(s) without separate earmarked ExSM vacancies. Even for these posts, they are eligible for age relaxation and fee exemption.

- 9.5** PWD candidates may also apply against regular vacancies of any post(s) without separate earmarked PWD vacancies but the post must have been identified as suitable for their disability. Even for these posts, they are eligible for age relaxation and fee exemption.

- 9.6** In case of Persons with Disability (PWD), if vacancies reserved for them cannot be filled due to non-availability of suitable candidates under that category of Disability or for any other sufficient reason, such vacancy/vacancies shall not be filled and shall be carried forward as backlog vacancy.

However, for the backlog vacancies indicated in the CEN, if candidates of specified disability for which vacancies are indicated, are not available, these can be filled by candidates of other disabilities for which the post is suitable. In case of non-availability of any PWD candidates, the post will be filled by regular (those who are not PWD) candidates.

- 9.7** CCAA candidates trained in Railway Establishments may also apply against vacancies of any post(s) without separate earmarked CCAA vacancies. Even for these posts, they are eligible for age relaxation.

10.0 EX-SERVICEMAN

- 10.1** The term Ex-Serviceman means a person who has served in any rank (whether as a Combatant or non-Combatant) in the regular Army, Navy or Air Force of the Indian Union but does not include a person who has served in the Defence Security Corps., the General Reserve Engineering Force, the Lok Sahayak Sena and the Para Military Forces

and

- a. Who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension; (or)
- b. Who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; (or)
- c. who has been released from such service as a result of reduction in establishment; (or)
- d. Who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than on his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army, namely, pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service;(or)
- e. Personnel of Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal Service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension; (or)
- f. Personnel who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to 14th April 1987; (or)
- g. Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army; or
- h. Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension w.e.f. 01.02.2006.

- 10.2** Persons serving in the Armed Forces of the Union, who on retirement from service would come under the category of Ex-Servicemen are eligible to apply for re-employment one year before the completion of the specific terms of engagement and avail themselves of all concessions available to Ex- Servicemen but such persons shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specific terms of engagement in the Armed Forces of the Union.
Accordingly, such serving Defence personnel to be released within one year of the last date of the CEN (on or before 12.03.2019) can also apply, both for vacancies earmarked for Ex-Servicemen and for posts not reserved for them.
- 10.3** Ex-Servicemen candidates who have already secured Civil employment under Central Government in Group 'C' & 'D' after availing of the benefits given to Ex-Servicemen will be permitted only the benefit of age relaxation as prescribed for Ex - Servicemen for securing another Civil employment in a higher grade or cadre in Group 'C/D' under Central Government. Such candidates will not be considered against the vacancies reserved for Ex - Servicemen in the Central Government jobs.
- 10.4** If an Ex-Serviceman applies for various vacancies before joining any Civil employment, he/she can avail the benefit of reservation as Ex - Serviceman for any subsequent employment, subject to the condition that an Ex - Serviceman as soon as he joins any Civil employment, should give self declaration/undertaking to the concerned employer about the details of application against this CEN. The acknowledged copy of this declaration along with NOC from the civil employer should be produced during DV failing which their candidature shall stand cancelled. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to the Ex - Servicemen.
- 10.5** The Medical standard of Ex-Serviceman will be according to para 534 of Indian Railway Medical Manual (IRMM) Volume I, which may be accessed at www.indianrailways.gov.in.
- 11.0 PERSONS WITH DISABILITIES (PWD)**
- 11.1** The suitability or otherwise of a post for PWD has been indicated against each post, under the column "Suitability for Persons with Disability" with details of sub disability in Annexure A.
- 11.2 Definitions of Disabilities:** Definitions of categories of disabilities for the purpose of recruitment are given below: (a) Blindness: 'Blindness' refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely: (i) Total absence of sight; or (ii) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lens; (iii) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degrees or worse; (b) Low vision: "Person with low vision" means a person with impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device. (c) Hearing impairment means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. It will also include persons who are deaf and dumb. (d) Loco Motor disability: "Loco Motor disability" means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy. (e) Cerebral Palsy: "Cerebral Palsy" means a group of non-progressive conditions of a person characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development (f) All the cases of orthopedically handicapped persons would be covered under the category of "Loco Motor disability or cerebral palsy."
- 11.3. DEGREE OF DISABILITY FOR RELAXATION AND COMPETENT AUTHORITY FOR ISSUE OF DISABILITY CERTIFICATE:** Only such persons would be eligible for relaxation of conditions in respective community in services/posts who suffer from not less than 40 percent of relevant disability. A person who wants to avail the benefit of relaxation will have to submit a Disability Certificate issued by a Competent Authority, as per proforma at Annexure-V(A), V(B) & V(C) {Form II, III or IV as applicable as prescribed in Para 14 of "Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Rules, 2009"}} at the time of DV.
- 11.4 Assistance of Scribe:** Visually Handicapped (VH) candidates / candidates whose writing speed is affected by Cerebral Palsy / candidates with one arm / candidates with muscular weakness can avail the assistance of SCRIBE for writing answers on their behalf. For engaging the scribe, candidates will have to indicate the same while filling ONLINE form. Engagement of SCRIBE will be subject to the following conditions:
- Candidates will have to arrange for the scribe on their own.
 - Separate e-admit card will be issued to scribe accompanying the candidates.
 - The candidate shall be responsible for any misconduct on the part of the scribe brought by him/her during the examination.
 - The scribe so arranged should not himself/herself be the candidate for the notification for which the candidate is appearing.** Also, same scribe should not be engaged for more than one candidate and to this effect the Scribe and the Candidate shall give a declaration. Any violation, if detected at any stage will render both candidate & scribe disqualified.

Candidates opting for scribe will have to provide additional details as per Annexure-V(D) for Scribe during submission of ONLINE application form, so that RRBs can issue e-admit card for Scribes and the same shall be signed by both Candidate and Scribe. Change of Scribe is not permissible at the exam venue and hence it is the responsibility of the candidate to ensure availability of Scribe for the exam. However, under exceptional circumstances, the change may be allowed duly recording reasons and filling the relevant details including photograph of the Scribe.

Candidates availing the assistance of a Scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of examination.

- 11.5** All one eyed candidates and candidates whose visual degree of disability is less than 40% shall not be considered as Visually Handicapped persons and the provision for engaging Scribe shall not be applicable to them.
- 11.6** Selected PWD candidates will be subjected to medical examination by Railway Medical Authorities at the time of appointment and only those conforming to the medical standards as laid down in the Indian Railway Medical Manual and other extant provisions, as the case may be, will be eligible for appointment.
- 11.7** When vacancies are reserved for PWDs and full panel for PWDs cannot be made with the minimum qualifying percentage marks of each category, viz., UR, SC, ST, OBC-NCL, a relaxation of up to 2% marks in the minimum qualifying marks prescribed for the community will be allowed.

12.0 RAILWAY ACT APPRENTICES

- 12.1** The vacancies to be filled from among the Course Completed Act Apprentices (CCAAs) trained in Railway Establishments and possessing National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by National Council of Vocational Training (NCVT) is separately indicated in the vacancy table. This will be in the nature of horizontal reservation as in the case of persons with disabilities (PWDs) and Ex-Servicemen. However, unlike in the case of PWDs, there will be no carry forward of the unfilled vacancies, to be filled by this mechanism. In case of shortfall, the vacant slots shall be filled from others in the combined merit list.
- 12.2** The last date for submission of application against this CEN shall be the cut off date for completion of Apprenticeship. A candidate shall be considered to have completed the Act Apprenticeship training, only if he has appeared in the NCVT examination before the last date of CEN and result for which might not have been declared. However, the candidate should submit the NAC certificate issued by NCVT during document verification failing which he shall not be eligible for reservation as CCAA (trained in Railway Establishments) under this provision.
- 12.3** The course completed Act Apprentices will be eligible to apply for any RRB irrespective of the Railway Establishment in which they have been trained subject to fulfilling other eligibility conditions.

Special Note for all Candidates seeking reservation/relaxation benefits:

All those candidates seeking reservation/relaxation benefits available for SC/ST/OBC-NCL/PWD/ExSM/CCAA (trained in Railway Establishments) must ensure that they are entitled to such reservation/relaxation as per eligibility prescribed in the Rules/CEN. They should be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format in support of their claim as stipulated in the Rules/CEN.

13.0 NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC)

Candidates serving (including those undergoing induction training/probation) in any Central/State Government Department including Railways or Public Sector Undertakings may apply directly to the RRBs duly informing their Employer. Shortlisted candidates should produce **NOC from the employer on the date of his/her DV** failing which their candidature will be cancelled.

NOTE: Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the RRB concerned withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application/candidature will be liable to be rejected /cancelled.

14.0 RECRUITMENT PROCESS

Only single online application has to be submitted by the candidate to the RRB of their choice for all the notified posts of that RRB through the link provided on the official website.

The entire recruitment process shall involve a Computer Based Test (CBT), Physical Efficiency Test (PET) and Document Verification.

The date, time and venue for all the activities, namely, CBT, PET and DV or any other additional activity as applicable shall be fixed by the RRBs and shall be intimated to the eligible candidates in due course. Request for postponement of any of the above activity or for change of venue, date and shift will not be entertained under any circumstances.

14.1 Computer Based Test

All the eligible candidates have to undergo a Computer Based Test on the specified date, time and venue as per the e-call letter to be downloaded by the candidates from the websites of RRBs. The information about the e-call letter download shall be communicated through the websites as well as personal email communication to the candidates.

Total Duration : 90 Min,

No of Questions: 100

Minimum percentage of marks for eligibility in various categories: UR -40%, OBC-30%, SC-30%, ST-30%. These percentage of marks for eligibility may be relaxed by 2% for PWD candidates in case of shortage of PWD candidates against vacancies reserved for them.

Question Type and Syllabus:

The Questions will be of objective type with multiple choices and are likely to include questions pertaining to:

a. Mathematics

Number system, BODMAS, Decimals, Fractions, LCM, HCF, Ratio and Proportion, Percentages, Mensuration, Time and Work; Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Loss, Algebra, Geometry and Trigonometry, Elementary Statistics, Square root, Age Calculations, Calendar & Clock, Pipes & Cistern etc.

b. General Intelligence and reasoning

Analogies, Alphabetical and Number Series, Coding and Decoding, Mathematical operations, Relationships, Syllogism, Jumbling, Venn Diagram, Data Interpretation and Sufficiency, Conclusions and Decision making, Similarities and Differences, Analytical Reasoning, Classification, Directions, Statement – Arguments and Assumptions etc.

c. General Science

The syllabus under this shall cover Physics, Chemistry and Life Sciences of 10th standard level.

d. General Awareness on current affairs in Science & Technology, Sports, Culture, Personalities, Economics, Politics and any other subjects of importance.

14.2 PHYSICAL EFFICIENCY TESTS (PET)

Based on the merit of the candidates in the CBT, candidates shall be called for PET **Two times** the community wise total vacancy of the Posts notified against RRBs. However, Railways reserve the right to increase/decrease this limit as required to ensure availability of adequate candidates for all the notified posts. Passing Physical Efficiency Test (PET) is mandatory and the same will be qualifying in nature. The criterion for PET is as under:

Male Candidates	Female Candidates
Should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 metres in 2 minutes in one chance without putting the weight down and Should be able to run for a distance of 1000 metres in 4 minutes and 15 seconds in one chance.	Should be able to lift and carry 20 kg of weight for a distance of 100 metres in 2 minutes in one chance without putting the weight down and Should be able to run for a distance of 1000 metres in 5 minutes and 40 seconds in one chance.

Note: The persons with disabilities as specified in Para 11.0 are exempted from appearing for PET. However, after qualifying in the CBT, such candidates will have to pass the medical examination prescribed for Persons with Disabilities.

14.3 Document Verification and Empanelling of Candidates

Based on the performance of candidates in the CBT subject to their qualifying in PET, candidates will be called for document verification.

In case of two or more candidates securing same marks, their merit position shall be determined by age criteria i.e., older person shall be given higher seniority.

Appointment of selected candidates is subject to their passing requisite Medical Fitness Test to be conducted by the Railway Administration, final verification of educational and community certificates and verification of antecedents/character of the candidates.

Candidates may please note that RRBs only recommend names of the empanelled candidates and appointment is offered ONLY by the respective Railway Administrations.

15.0 HOW TO APPLY

Candidates can apply for vacancies of any one RRB only through ONLINE application mode by visiting the official website of RRBs listed at Para 20.0.

a) **Read all the Information and Instructions detailed in the CEN** thoroughly before starting the filling up of application by clicking the **CEN 2/2018 Link on the RRB website**. It is essential that the candidate understands all information of the notification correctly to prevent any mistakes while filling application.

b) **Scanned documents JPEG format to be kept ready before filling the application**

In order to ensure speedy filling up of application by the candidates, they should keep the following documents ready in digital form before logging in to the application page.

- Candidate Photograph in color: JPEG image of size 20 to 50KB
- SC/ST Certificate (Only for candidates seeking free travel pass): JPEG image of size 50 to 100KB
- Scribe Photograph in color (Wherever applicable): JPEG image of size 20 to 50KB

c) **Check RRB Wise Vacancies for the qualification and Reservation Category of the candidate:** The candidates are advised to check the Vacancy Table in this CEN to ascertain the vacancies notified against all RRBs for their qualification and ensure that the RRB to which they wish to fill in the online application is having vacancy for their qualification and community/category subject to eligibility in terms of age and medical standards.

Further for identifying RRB wise vacancies dynamically as per their eligibility **Click on the CEN 2/2018 Vacancy table** and follow as below:

- i) First table shows the RRB wise summary of vacancy of posts to have a glimpse of vacancy scenario in all RRBs.
- ii) Further to ascertain the comprehensive details of vacancy of all the posts notified against an RRB, candidate may select the RRB from the drop down list of RRBs from search menu and can view the vacancies of all the notified posts against the Railway attached to that RRB.
- iii) After scrutinizing the vacancy details, candidates may decide the RRB for which they wish to apply duly ensuring that vacancy exists for their qualification and community/PWD/ExSM category. **Once the RRB has been selected and registration is completed, change of RRB will not be permitted under any circumstances.**

Candidates are further advised to visit website(s) of RRBs frequently to get the latest information on various stages of recruitment process or any changes about this notification.

The onus is on the candidates to prove with valid documents that all the information submitted by them in the ONLINE application is true.

CANDIDATES PLEASE NOTE:

Candidates are advised to keep their personal mobile number and personal valid e-mail active throughout the recruitment process, as all communications from RRBs will be only through SMS/email. RRBs will not entertain any request for change of mobile number and e-mail address at any stage.

Candidates are advised to note and preserve their Registration Number for further stages of recruitment process / correspondence with RRB concerned.

15.1 STEPS TO SUBMIT ONLINE APPLICATION

After completing the process at para 15 a, b, & c above, click on the “New Registration” link on the home page of the Online Registration portal of CEN 2/2018 for the recruitment of various posts in Level 1 of 7th CPC Pay matrix and carry out the following:-

- a. **Confirm that you have read and understood the instructions** clearly by clicking the check box.
- b. **Select the RRB** to which you would like to apply. Please be aware that, RRB once selected cannot be changed after registration.
- c. **Registration Details:** Enter your name, Date of Birth and Father's name as per para 1.7 of General Instruction, Mother's name, Aadhar number, State, SSLC/Matric Roll number, Year of passing SSLC/MATRIC, mobile number and email-id and then submit for registration. Candidates with ITI/NAC qualification alone can enter Roll number/year of passing for ITI/NAC qualification instead of SSLC/Matric. Before submitting for registration, ensure and confirm that all the information furnished above are correct as the details furnished for registration cannot be changed later. Please note that the email ID used for the registration must be yours and unique. Also note that both the email and mobile number will be verified during the Online application process with an OTP.
- d. **Verification of email ID and mobile number through OTP :** On submitting the Registration details, an OTP will be sent to your email and another OTP to your mobile number. Click on the “Verify through OTP” link on the Home page of the online registration portal and enter the OTP received on your email and the OTP received on your mobile in the respective fields. You can proceed with the registration only by entering both the OTPs, Hence it is advised to ensure that the email id and mobile number is entered correctly during the Registration.

On verification of both the email id and mobile number, a unique registration number is generated for the candidate. Candidate should note and preserve their registration number for later reference during the recruitment process and RRB will not entertain any request seeking registration number. Candidates can proceed with the online application by clicking on the “Candidate Login” link on the home page using the registration number.

- e. **In the Part 1 of application page**, provide the details of Educational qualification, Community, Gender, Religion, ExSM, PWD, CCAA, Minority, Economically backward class, Age relaxation eligibility category as applicable and other details.
- f. On completion of application details as above, the candidate will be directed to the payment page to choose payment mode i.e Bank(online-net banking/credit card/debit card & offline-Challan) or Post Office- Challan as explained in para 7.1 and complete the payment process. **Please note the last date and time specified for each mode of payment and submit the application well in time.**
- g. In case of online payment, you will be automatically directed to Part II of application for filling up additional details. Those paying through Bank-offline mode, the payment confirmation may take about an hour and hence they have to again login after 60 minutes and look for confirmation of payment status. The time period for payment confirmation shall vary from 24hrs to 48 hrs in case of Post Office payment. On getting the confirmation status, the candidate can start filling Part II of the application.

Candidates eligible for examination fee refund should provide the details of beneficiary account in which they would like to receive the refund viz. Beneficiary name, Bank name, Account Number and IFSC Code in the online application.

- h. **In the Part II application page**, fill in details of:

- **Set priority / preferences for posts:** If the candidate is eligible for more than one post based on his educational qualification and other details furnished, he/she must set the priority/preferences for the posts. The list of posts (in the selected RRB) for which a candidate is eligible will be displayed. The candidates can set their priority/preferences by clicking on the “Set Priority” button for the various posts that they are eligible for, in the RRB they are applying to. The candidates can fill in the preferences for all the posts listed, or a few of them as per their choice. But at least one preference must be given.

- Ø **Scribe (Applicable to eligible PWD Candidates only):** Provide details of scribe duly uploading his/her passport size photograph. Furnishing of information of Scribe is mandatory. Change of Scribe at the exam venue is generally not permitted. However, under exceptional circumstances the change may be allowed duly recording reasons and filling the relevant details including photograph of the scribe.
- Ø **Detailed Educational Qualification:** Furnish all the relevant information on the qualification as required in the application.
- Ø **Choice of Exam Language: English is the default language. In case the candidate wishes to choose any other language, then the same can be selected in addition from the drop down list of languages as per Table at para 20.0. In case of any difference between English and the opted language, the content of English version shall prevail.**
- Ø Complete the balance fields e.g. mother tongue, address etc.
- i. **Uploading of color Photograph:** Select the Upload Photo tab and upload your colour photograph. The photograph should comply with the following requirements,
- *The Colour passport photograph with white/light color back ground.*
 - *Photograph of size 35mmX45mm with **name and date printed** on it.*
 - *It should be in JPG/JPEG format scanned with 100 DPI.*
 - *The size of the photograph should be between 20-50 KB*
 - ***The color photograph must have been taken on or after 01-12-2017 in a professional studio. Photographs taken using mobile and self composed portraits may result in rejection of application.***
 - *The photo should have clear front view of the candidate without cap and sunglasses.*
 - *The face should occupy at least 50% of the area of the photograph with a full face view looking at the camera directly.*
 - *The main features of the face must not be covered by hair of the head, any cloth or any shadow.*
 - *Fore head, eyes, nose and chin should be clearly visible.*
 - *In case the candidate wears glass, then the photograph should not have any glare on glasses.*
 - *The Photograph must match with the candidate appearance on the day of various stages of recruitment process viz. CBTs, PET and DV.*
 - *PWD candidates should also upload passport photograph as per above specifications only and not the full body photograph used in the disability certificate.*
- j. Candidates are advised to keep at least 12 (Twelve) copies of the same photograph for further use as and when required during the recruitment process.
- k. Candidates belonging to SC/ST have to upload scanned copy of their SC/ST certificates (JPG/JPEG format, 50kb – 100kb) also for availing the facility of free travel authority (Second Class Railway Pass).
- l. Candidates may give their consent for sharing the scores obtained by them in RRB exams with other Ministries/Departments/PSUs and Private organizations, for recruitment in their organizations.
- m. In the end candidates have to confirm the declaration “I hereby declare that I have gone through the eligibility criteria for the post(s) applied for and meet all the requirements therein, that all the details furnished by me in the application are true and complete to the best of my knowledge & belief and nothing has been concealed or suppressed. I also understand that in case, any of the details furnished is found untrue during any stage of recruitment or thereafter Railway Administration shall disqualify me for the post(s) applied for and /or I shall be liable for any other action under the extant rules”. After confirming the above declaration and submission of the application, the entire application shall be displayed for confirmation once again and on confirmation, the candidate may take the print of the application and preserve it for reference and record.

15.2 MODIFICATION OF APPLICATION

- a. After final submission of ONLINE application, in case the candidates wish to make minor changes to correct inadvertent errors in the application, the correction of data other than RRB, registration number, mobile number and email id can be done by paying the modification fee of Rs.250/- (Non Refundable). The modification fee shall be applicable to all candidates including fee concession categories and this fee is not refundable for any category. The modification to the registration and application details can be done twice only.
- b. Candidates are cautioned to ensure that if they wish to modify their application, they are advised to do the same sufficiently well in advance of the closing date and time of the CEN. In case, due to last minute congestion, if the modifications attempt fails at any stage, and the modification carried out have not been saved or not submitted in time, the earlier information furnished in the application shall be considered and no correspondence on this subject shall be entertained. Please note that the candidate has to check the data in all stages of his online application process, including his post preferences during modification, as the candidate's eligibility for the posts may change based on the data he has modified. Unless the candidate completes the final submission in the Modification process, the earlier information furnished in the application shall be considered and no correspondence on this subject shall be entertained.
- c. **The Registration number, Selected RRB, email id and mobile number cannot be changed.**
- d. The procedure for modification of the application shall be as below
 - i. Click on the 'Modify Application' link on the home page of the Online registration portal of CEN 02/2018.
 - ii. Login using Registration Number and Password.
 - iii. Pay modification fee through any of the modes available for actual examination fee payment. Ensure payment is done well within the date and time prescribed.
 - iv. After making payment, login using Registration Number and Password, then proceed with the changes intended as per instructions given and submit the application.
 - v. Please complete all stages of the application process. Preserve the print out of latest application for record.

15.3 INVALID APPLICATIONS / REJECTIONS

Online applications are liable for rejection on the following grounds amongst others:

- a. **Invalid photos** on account of Black and White photo, photo with cap or wearing Goggles. Photos which are disfigured, small size, full body, only one side view of the face, unrecognizable photos, photostat copy of photo, group photo, photos without name and date and online application without photo among others.
- b. Multiple applications to different RRBs or same RRB. In such case, all applications will be rejected and such candidates will be debarred from future RRB/RRC exams.
- c. Candidate's name figuring in the debarred list of any RRB/RRC.
- d. Any other irregularities which are observed and considered as invalid by RRB.
- e. *In case the application is rejected, candidates will be able to view their status ONLINE on the website of RRBs along with the reason(s) for rejection(s) which is final and binding and no further correspondence shall be entertained on the subject. No refund of examination fee will be made on account of rejection of application. SMS and e-mail alerts shall also be sent to the candidates on their registered mobile numbers and e-mail IDs, as indicated in their ONLINE application. Candidates will not be intimidated by post.*

16.0 HALL TICKET (e-call letter) FOR CBT/PET/DV

- 16.1 Candidates can verify their eligibility status from the website of RRBs. SMS and email messages will be sent to all eligible candidates about the e-call letter upload details.
- 16.2 Eligible candidates can download e-call letter (along with e-call letter for Scribe, wherever applicable) from the RRBs websites about 10 days before the date of the CBT / PET / Document Verification (as applicable)

The call letter will not be sent to candidates by post.

Candidates should read the instructions on the e-call letter carefully and follow them scrupulously. Failure to comply with the instructions may lead to cancellation of their candidature.

In case of SC/ST candidates who have uploaded the details of their community certificate for availing the benefit of free travel authority (Sleeper Class Railway Pass), the e-call letter for CBT/ PET / DV (as applicable) will contain the free travel authority and such candidates will be allowed to book ticket on submission of self attested photo copy of e-call letter and SC/ST certificate. During the journey, these candidates should carry original SC/ST certificate and one original prescribed proof of identity for undertaking journey failing which they will be treated as travelling without ticket and charged accordingly.

- 16.3 Candidates must bring their e- call letters along with a valid Photo ID (viz. Voter Card, Aadhaar Card, printout of e-Aadhaar, Driving License, PAN card, Passport, Identity Card issued by the employer in case the candidate is a Govt. Employee, School / College / University Photo ID card etc.) in ORIGINAL to the examination hall, failing which candidates shall NOT be allowed to appear for the CBT / PET / Document Verification (as applicable)

16.4 Candidates must also bring one colour photograph (of size 35mm x 45mm) which was uploaded in the application, with clear front view of the candidate without cap and sunglasses, for appearing in the CBT/PET/ Document verification (as applicable).

Candidates should leave the spaces provided in the downloaded e-call letter for writing self declaration paragraph, signature and Left Thumb Impression (LTI) unfilled while coming for the exam.

Candidates will have to write the paragraph of self Declaration, sign and affix LTI at the venue of the CBT in the presence of the Invigilator at the Examination Hall ONLY and hand over the same to the Invigilator before the conclusion of the examination. Candidates writing the self declaration para and Signing in CAPITAL letters will be rejected.

16.5 RRB(s) will not entertain any request for any change in examination centre, date and session allotted to candidate(s).

17.0 VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS AND FORMAT OF CERTIFICATES:

Candidates shortlisted for DV are required to produce all original documents along with two sets of self-attested photo copies of all documents at the time of DV. Further, these candidates should upload the scanned copies (in true color) of all the original certificates as applicable prior to their DV date through www.rrbdv.in portal.

All Certificates should be either in English or in Hindi only. Where certificates are not in English / Hindi, self attested translated version (In Hindi / English) should be produced wherever / whenever required. Certificates produced during the DV should be strictly in the prescribed formats.

No additional time will be given to the candidates not producing their original certificates on their date of DV and the candidature of such candidates is liable to be forfeited.

Documents to be brought by candidates (as applicable) for verification are as indicated below:

- 17.1 Matriculation/High School Examination Certificate or Equivalent certificate as Proof for Date of Birth and Matriculation Qualification. (The candidates' name and father/ mothers' name mentioned in the application will be verified with reference to the names mentioned in this certificate.)
- 17.2 NCVT(NTC/NAC) / SCVT Certificate as applicable
- 17.3 SC/ST certificate in the format as per Annexure - I.
- 17.4 OBC-NCL certificate in the format as per Annexure - II
- 17.5 Non creamy layer declaration by OBC candidates as per Annexure II A
- 17.6 Income Certificate for Waiving Examination Fee for Economically Backward Classes as per Annexure – III.
- 17.7 Original discharge certificate for Ex-servicemen.
- 17.8 Photo Copy of both sides of Aadhaar Card.
- 17.9 Medical Certificate for Persons with Disabilities (PWD) as per Annexure –V(A),V(B),V(C) as applicable
- 17.10 NOC from serving employees with date of appointment.
- 17.11 NOC from Serving Defence Personnel with probable date of discharge.
- 17.12 Minority Community declaration on Non - judicial Stamp Paper as per Annexure - IV.
- 17.13 Gazette notification and/or any Legal document in case of formal change of name as mentioned in para 1.7.
- 17.14 Receipt of payment if made through a challan at SBI branch or Pay-in-slip at Computerized post office.
- 17.15 Self Certification by the Transgender candidates
- 17.16 J & K domicile certificate.
- 17.17 Decree of divorce/judicial separation from the competent Court of Law as applicable and Affidavit stating that the candidate has not remarried.
- 17.18 Death Certificate of spouse in case of widow candidate and Affidavit stating that the candidate has not remarried.
- 17.19 Ex-Servicemen candidates who secure civil employment after applying for this CEN should give self declaration to the concerned employer about the details of application against this CEN, as soon as they join. The acknowledged copy of this declaration along with NOC from the civil employer should be produced during DV.

Note 1. Candidates who wish to be considered against vacancies reserved / or seek age-relaxation must submit the requisite/relevant certificate in original from the Competent Authority, in the prescribed format at the time of DV. Otherwise, their claim for SC/ST/OBC/ExSM/PWD status will not be entertained and their candidature/ applications will be considered under General (UR) category, if eligible. The certificates should be as per the formats annexed.

Note 2. The Educational qualification Certificates viz Provisional or Regular Matriculation/ITI/NTC/NAC should contain the date of issue. In case, date of issue of these certificates is after the closing date of the notification, then the consolidated mark sheet with date of declaration of the final qualifying exam or individual mark sheets of all the semesters with date of declaration of each semester results should be submitted. In case of non-availability of date in any of these certificates, then a certificate from the institution/university to this effect (indicating date of declaration of result) should be produced at the time of DV.

18.0 IMPERSONATION / SUPPRESSION OF FACTS – WARNING

- 18.1 Any candidate found using unfair means of any kind in the examination, sending someone else in his/her place to appear in the examination, attempt to impersonate will be debarred from appearing in all the examinations of all the RRBs/RRCs for lifetime. He/she will also be debarred from getting any appointment in the Railways and if already appointed, will be dismissed from service. Such candidates are also liable for legal prosecution.
- 18.2 Furnishing of any false information to the RRB or deliberate suppression of any information at any stage will render the candidate disqualified and debarred from appearing at any selection or examination for appointment on the Railways or to any other Government service and if appointed the service of such candidate is liable to be terminated.
- 18.3 Candidates found submitting forged/fake certificates/documents of any kind for securing eligibility and/or obtaining privileges, including free travel for appearing in the examination shall lead to rejection of their candidature for the particular recruitment for which he/she has applied. Further, he/she will also be debarred from all examinations conducted by all RRBs/RRCs all over the country for a period of 2 years/for life as deemed fit and legal action will be initiated, if warranted.
- 18.4 Candidate shall not bring in or attempt to bring in any political or other influence to further his/her interest in respect of the recruitment. Candidature of such candidates is liable to be rejected.

19.0 MISCELLANEOUS:-

- 19.1 RRBs reserve the right to conduct additional CBT/ PET / DV at any stage. RRBs also reserve the right to cancel part or whole of any recruitment process at any stage for any of the categories notified in this CEN without assigning any reason thereof.
- 19.2 The decision of RRBs in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of ONLINE applications, issue of free Rail Passes, penal action for false information, modification of vacancies, mode of selection, conduct of CBT, allotment of examination centers, selection, allotment of posts to selected candidates etc., will be final and binding on the candidates and no enquiry or correspondence will be entertained by the RRBs in this regard.
- 19.3 RRBs will not be responsible for any inadvertent errors.
- 19.4 Any legal issues arising out of this CEN shall fall within the legal jurisdiction of respective Central Administrative Tribunals under which the RRB concerned is located.
- 19.5 In the event of any dispute about interpretation, the English version of the notification as published in Employment News & RRB websites will be treated as final.

20.0 Details of various RRBs, their Website Address and Local language options are indicated below:

Name of RRB	Website Address	Telephone Numbers	Local Language Choice (in addition to Hindi, English & Urdu)
Ahmedabad(WR)	www.rrbahmedabad.gov.in	079-22940858	Gujarati, Marathi
Ajmer (NWR)	www.rrbajmer.gov.in	0145-2425230	Gujarati, Punjabi
Allahabad (NCR)	www.rrbald.nic.in	0532-2224531	----
Bangalore (SWR)	www.rrbbnc.gov.in	080- 23330378	Kannada, Tamil, Telugu, Marathi, Konkani
Bhopal (WCR)	www.rrbbpl.nic.in	0755-2746660	Gujarati
Bhubhaneswar (ECOR)	www.rrbbbs.gov.in	0674-2303015	Odia, Telugu
Bilaspur (SECR)	www.rrbbilaspur.gov.in	07752-247291	Marathi, Odia
Chandigarh (NR)	www.rrbcdg.gov.in	0172-2730093	Punjabi
Chennai (SR)	www.rrbchennai.gov.in	044-28275323	Tamil, Telugu
Gorakhpur (NER)	www.rrbgkp.gov.in	0551-2201209	----
Guwahati (NFR)	www.rrbguwahati.gov.in	0361-2540815	Assamese, Bengali, Manipuri
Kolkata (ER)	www.rrbkolkata.gov.in	033-25430108	Bengali
Mumbai (CR)	www.rrbmumbai.gov.in	022-23090422	Marathi, Gujarati, Kannada
Patna (ECR)	www.rrbpatna.gov.in	0612-2677680	----
Ranchi (SER)	www.rrbranchi.gov.in	0651-2462429	Odia, Bengali
Secunderabad (SCR)	www.rrbsecunderabad.nic.in	040-27821663	Telugu, Marathi, Kannada & Odia

21.0 Abbreviations used in this CEN:

Stages of Recruitment Process	CBT= Computer Based Test, DV = Document Verification, PET=Physical Efficiency Test.
Reservation / Age Relaxation Category	CCAA = Course Completed Act Apprentices, EBC = Economically Backward Class, ExSM = Ex-Serviceman, OBC- CL= Other Backward Classes Creamy Layer, OBC- NCL = Other Backward Classes-Non Creamy Layer, SC = Scheduled Caste, ST = Scheduled Tribe, UR = Unreserved (General),
Disabilities	HH = Hearing Handicapped, LV = Low Vision, OH = Orthopedically Handicapped, OL = One Leg, PWD = Persons With Disability, VH = Visually Handicapped,
Railway Zones / Organisations	CR = Central Railway, ECR = East Central Railway, ECoR = East Coast Railway, ER = Eastern Railway, NR = Northern Railway, NCR = North Central Railway, NER = North Eastern Railway, NFR = Northeast Frontier Railway, NWR = North Western Railway, RRB = Railway Recruitment Board, RRC= Railway Recruitment Cell, SR = Southern Railway, SCR = South Central Railway, SER = South Eastern Railway, SECR = South East Central Railway, SWR = South Western Railway, WR = Western Railway, WCR = West Central Railway.
General	CEN = Centralized Employment Notice, LTI= Left Thumb Impression, PSU= Public Sector Undertaking,
Institutions / Council / Certificates	ITI = Industrial Training Institute, NAC = National Apprenticeship Certificate, NTC- National Trade Certificate, NOC = No Objection Certificate, NCVT- National Council for Vocational Training, SCVT- State Council for Vocational Training,

WARNING:-

- Beware of touts and job racketeers trying to deceive by false promises of securing job in Railways either through influence or by use of unfair and unethical means. RRB has not appointed any agent(s) or coaching center(s) for action on its behalf. Candidates are warned against any such claims being made by persons/agencies. Candidates are selected purely as per merit. Beware of unscrupulous elements and do not fall in their trap. Candidates attempting to influence RRB directly or indirectly shall be disqualified and legal action can be initiated against them.
- Candidates are advised to consult only the official website of RRBs and beware of FAKE websites put up by unscrupulous elements/touts.

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

This is to certify that Shri*/ Srimati/ Kumari* son/daughter* of Shri.....
 Village/ Town...../District/Division*.....of
 the.....State/Union Territory* belongs to the.....Caste*/Tribe which is
 recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe (tick whichever is applicable) under :-

*The Constitution Scheduled Castes Order 1950.

*The Constitution Scheduled Tribes Order 1950.

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order 1951;

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order 1956, the Bombay Re-organisation Act 1960, the Punjab Re- organisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act 1976]

The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Orders, 1956

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled *Tribes Orders (Amendment) Act, 1976

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Orders, 1964

*The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.

*The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990

*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991

*The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996

*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002

*The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

*The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to
 Shri/Srimati* father/mother* of Shri/Srimati/Kumari..... of
 Village/ Town* in/District/Division* of the
 State/Union Territory* who belongs to the.....Caste*/Tribe which is recognised as a
 Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the Station/ Union Territory* issued by the dated.

3. Shri/Srimati/Kumari* and /or* his/her* family ordinarily resides in Village/Town* District/
 Division* of the State/ Union Territory* of.....

* Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote the specific presidential order.

% Please delete the Paragraph, which is not applicable.

Note: (a) The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950: Officers competent to issue caste/tribe certificates:

1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner. 2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. 3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. 4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his / her family normally reside(s). 5. Certificates issued by Gazetted Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrator/ Secretary to Administrator (Laccadive, Minicoy and Admindivi Islands).

Signature

Designation

(with seal of Office)

State/ Union Territory

Place

Date

OBC CERTIFICATE FORMAT**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that

Shri/Smt./Kumari.....son/daughter of
.....of Village/Town in District/ Division
..... in the State/ Union Territory..... belongs to the
..... community which is recognised as a Backward Class under the Government of
India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No.....
dated.....*

Shri/Smt./Kum.*.....and/or his/her family ordinarily reside(s) in
the.....District/Division of the.....state/Union
Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy layer)
mentioned in column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training
OM No. 36012/22/93-Estt(SCT), dated 8.9.1993 and modified vide Government of India, Department of
Personnel and Training O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27.05.2013 and 13.09.2017*.

Date:

**DISTRICT MAGISTRATE /
DY. COMMISSIONER ETC.
(Seal)**

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate as OBC.

* As amended from time to time.

Note: The term “Ordinarily” used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

DECLARATION

**Proforma for declaration to be submitted by Other Backward Class
Candidates at the time of document verification, who had applied for the
posts against Centralized Employment Notice No. CEN 2/2018**

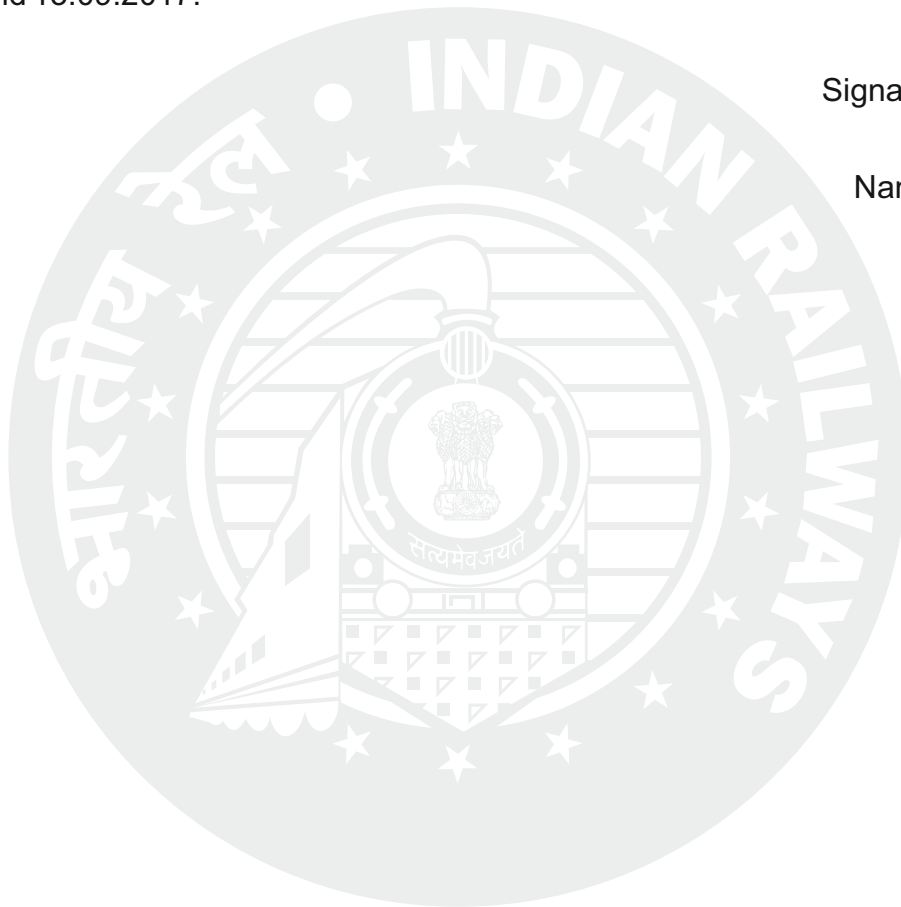
"I,..... son/daughter of Shri resident of
Village/Town/ City district
State hereby declare that I belong to the (indicate
your sub caste) community which is recognised as a backward class by the Government of India for the
purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office
Memorandum No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to
persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office
Memorandum dated 08.03.1993 and its subsequent revisions through O.M.No.36033/1/2013-Estt. (Res)
dated 27.05.2013 and 13.09.2017.

Place:

Signature of the Candidate

Date:

Name of the candidate



Income Certificate for EBC

Proforma for Waiver of Examination Fees to be submitted by Economically Backward Class candidates at the time of document verification against Centralized Employment Notice No CEN 2/2018

1. Name of Candidate :
2. Father's Name :
3. Age :
4. Residential Address :
.....
5. Annual Family Income (In words & Figures) :
.....

Date:

Signature:

Name:

Stamp of Issuing Authority :

Note: Economically Backward Classes will mean the candidates whose family income is less than 50,000/- per annum. The following authorities are authorized to issue income certificates for the purpose of identifying economically backward classes:

(1) District magistrate or any other Revenue Officer up in the level of Tahsildar (2) Sitting Member of Parliament of Lok Sabha for persons of their own Constituency (3) BPL Card or any other certificate issued by Central Government under a recognized poverty alleviation programme or Izzat MST issued by Railways. (4) Union Minister may also recommend to Chairman /RRBs for any persons from anywhere in the country. (5) Sitting Member of Parliament of Rajya Sabha for persons of the district in which these MPs normally reside.

DECLARATION

**Proforma for Waiver of Examination Fees to be submitted by
Minority candidates at the time of Document Verification against
Centralized Employment Notice No CEN 2/2018**

"I,..... son/daughter of
Shri resident of village / town / city
..... district state.....hereby
declare that I belong to the.....(indicate minority community notified by
Central Government i.e., Muslim / Sikh / Christian / Buddhist / Jain / Zoroastrians (Parsis)

Date :

Signature of the Candidate

Place :

Name of the Candidate

Note : At the time of document verification such candidates claiming waiver of examination fee will be required to furnish 'Minority Community Declaration' affidavit on Non Judicial Stamp paper that he / she belongs to any of the minority community notified by Central Government (i.e., Muslim / Sikh / Christian / Buddhist / Jain / Zoroastrians (Parsis).



Disability Certificate

FORM-II

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness)

(See Rule 4)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent PP
Size Attested
Photograph
(Showing face
only) of the
person with
disability

Certificate No.:

Date:

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum.....son/wife/ daughter of Shri.....Date of Birth
(DD/MM/YYYY)..... Age.....Years, Male/Female..... Registration No.
..... Permanent Resident of House No. Ward/Village/Street
..... Post Office..... District..... State.....

Whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) He/she is a case of:

*Locomotor Disability

*Blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is

(1) He/She has% (in figure percent (in words) permanent physical impairment/
blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (to be specified).

(2) The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

Signature / Thumb
Impression of the person
in whose favour disability
certificate is issued

(Signature and Seal of Authorized
Signatory of notified Medical Authority)

Disability Certificate

FORM-III

(In case of multiple disabilities)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

(See Rule 4)

Recent P P
Size Attested
Photograph
(Showing face
only) of the
person with
disability

Certificate no:.....

Date:

1 This is to certify that we have carefully examined

Shri/Smt./Kum.....son/wife/daughter of Shri.....

Date of Birth(dd/mm/yyyy)..... Age..... years,

Male/Female..... Registration No. Permanent Resident of House

No..... Ward/Village/Street..... whose photograph is affixed above and are satisfied that:

(A) He/She is a case of **Multiple Disability**. His/Her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) for the disabilities ticked below and shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability(in%)
1	Locomotor Disability	@		
2	Low Vision	#		
3	Blindness	Both Eyes		
4	Hearing Impairment	£		
5	Mental Retardation	X		
6	Mental-illness	X		

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (to be specified), is as follows:

In figures: percent

In words : percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

I not necessary, Or

ii) is recommended/after year months, and therefore this certificate shall be valid till(DD/MM/YYYY)

@ e.g. Left/Right/both arms/legs

e.g Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence

Nature of Document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority

--	--	--

Name and seal of Member

Name and seal of Member

Name and seal of the Chairperson

Signature/Thumb impression of
the person in whose favour
disability certificate is issued

Disability Certificate

FORM – IV

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

(See Rule 4)

Recent PP
Size Attested
Photograph
(Showing face
only) of the
person with
disability

Certificate No.:

Date:

1.This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt./Kum.....son/wife/daughter of Shri.....

Date of Birth(DD/MM/YYYY).....Age.....years, Male/Female.....

Registration No. Permanent Resident of House No..... Ward/Village/Street..... whose
photograph is affixed above and am satisfied that he/she is a case Disability. His/her extent of
percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown
against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability(in%)
1	Locomotor Disability	@		
2	Low Vision	#		
3	Blindness	Both Eyes		
4	Hearing Impairment	£		
5	Mental Retardation	X		
6	Mental-illness	X		

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3.Reassessment of disability is:

(i). not necessary, Or

(ii) is recommended/after years months and therefore this certificate shall be valid till
..... (DD)(MM)(YYYY)

@ e.g. Left/Right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of Document	Date of issue	Details of authority issuing certificate
(Authorised Signatory of notified Medical Authority) (Name and Seal)	Countersigned [(Countersignature and seal of the CMO/Medical Superintendent/Head of Government Hospital in case the certificate is issued by a medical authority who is not a government servant (with seal))]	

Signature / Thumb
Impression of the person
in whose favour disability
certificate is issued

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District. The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 908(E), dated the 31st December, 1996.

**DECLARATION TO BE SUBMITTED BY VISUALLY HANDICAPED CANDIDATES & THOSE
CANDIDATES WHOSE WRITING SPEED IS AFFECTED BY CEREBRAL PALSY OR
MUSCULAR WEAKNESS AND CANDIDATES WITH ONE ARM**

PARTICULARS OF SCRIBE PROPOSED TO BE ENGAGED BY THE CANDIDATE

1. Name of the Candidate
2. Date of Birth of the Candidate
3. Name of the Scribe
4. Father's Name of the Scribe
5. Address of the Scribe :
(a) Permanent Address
-
- (b) Present Address
-
6. Educational Qualification of the Scribe
-
-
7. Relationship, if any, of the Scribe to the Candidate

Regn. No:

Paste here recent
colour Passport
Size Photograph of
the SCRIBE of size
3.5 cmx 4.5cm (The
colour photograph
should not be more
than 3 months old.

Sign of Scribe

8. DECLARATION:

We hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief. We have read/ been read out the instructions of the Railway Recruitment Board regarding conduct of the visually challenged candidates/scribes at this examination and here by undertake to abide by them. We also certify that the scribe himself/herself is not a candidate for this CEN. Further he/she has not acted as scribe for any other candidate in any CBT of this CEN.

(Signature of the Candidate)

**Left thumb impression
of the candidate
in the box given above**

(Signature of the Scribe)

**Left thumb impression
of the Scribe in the
box given above.**

**Proforma for Medical Certificate to be obtained by candidates applying
for the posts of Assistant Loco Pilot from an Eye Specialist**

I have examined Shri/Smt/Kum who has applied for the post of Assistant Loco Pilot in Indian Railways. His/her vision has been tested with reference to the required standard and the results are as below:

Paste here your recent colour passport size photograph of size 3.5 cm x 4.5 cm (The colour photograph should be the same as used in the registration) The photograph should be attested by the eye specialist

Signature of candidate

Distant Vision		Near Vision		Colour Vision Ishihara		Binocular Vision, Field of Vision & Night Vision	
Required Standard	Actual Observation / Value	Required Standard	Actual Observation/ Value	Required Standard	Actual Observation/ Value	Required Standard	Actual Observation/ Value
6/6, 6/6 without glasses with fogging test (must not accept +2D)		Sn. 0.6, 0.6 without glasses		Normal		Normal	

Shri/Smt/Kum fully conforms / does not conform (**Strike out either 'fully conforms' or 'does not conform' as the case may be**) to the above vision standards.

It is also certified that he/she did not undergo any surgery to correct refractive error.

Name of the Eye Specialist

Registration No. of the Eye Specialist.

Place:

Date:

(Signature & Seal of the Eye Specialist)

CEN 2/2018 – POST PARAMETERS

Cat No.	Designation	Department	Medical Standard	Suitability for Persons with Disability			Minimum Educational Qualification
				VH	OH	HH	
1	HELPER / ELECTRICAL (WORKSHOP)	ELECTRICAL	C1	NO	OL	HH	10th pass plus National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT (OR) 10th pass plus ITI from institutions recognised by NCVT/SCVT
2	HELPER / ELECTRICAL / AC	ELECTRICAL	B1	NO	OL	HH	
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	B1	NO	OL	HH	
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	B2	No	OL	HH	
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	B1	No	OL	HH	
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	B1	NO	OL	HH	
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	B1	NO	OL	HH	
8	HELPER / BRIDGE	ENGINEERING	B1	NO	NO	NO	
9	HELPER / CIVIL	ENGINEERING	B1	NO	NO	NO	
10	HELPER / CIVIL (WORKSHOP)	ENGINEERING	C1	NO	OL	HH	
11	HELPER / P WAY	ENGINEERING	B1	NO	NO	NO	
12	HELPER / TRACK MACHINE	ENGINEERING	B1	NO	OL	HH	
13	HELPER / WORKS	ENGINEERING	B1	NO	OL	HH	
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	B1	NO	NO	NO	
15	HELPER / MECHANICAL	MECHANICAL	C1	NO	OL	HH	
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	B1	NO	OL	HH	
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	B1	NO	OL	HH	
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	B1	NO	OL	HH	
19	HELPER MECHANICAL (POWER)	MECHANICAL	B1	NO	OL	HH	
20	HELPER / S and T	S and T	B1	NO	OL	HH	
21	HELPER / S and T (WORKSHOP)	S and T	C1	NO	OL	HH	
22	HELPER / SIGNAL	S and T	B1	NO	OL	HH	10th pass (OR) ITI from institutions recognised by NCVT/SCVT (or) equivalent (OR) National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT
23	HELPER / TELECOMMUNICATION	S and T	B1	NO	OL	HH	
24	HELPER / MEDICAL	MEDICAL	C1	LV	OL	HH	
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	C1	LV	OL	HH	
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	A2	NO	NO	No	
27	GATEMAN	TRAFFIC	A2	NO	NO	No	
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	A2	NO	NO	NO	

CEN 02/2018 - VACANCY TABLE
Details of RRB-wise and Railway-wise vacancies

RRB : AHMEDABAD (Western Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	HELPER / ELECTRICAL / AC	ELECTRICAL	86	28	30	78	222	44	44	0	11	18
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	74	23	12	41	150	30	30	0	7	13
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	18	6	8	15	47	10	10	0	3	4
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	54	17	9	31	111	22	22	0	5	11
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	53	14	9	27	103	20	20	0	5	10
8	HELPER / BRIDGE	ENGINEERING	106	32	15	55	208	42	42	0	0	0
11	HELPER / P WAY	ENGINEERING	51	15	7	29	102	20	20	0	0	0
12	HELPER / TRACK MACHINE	ENGINEERING	21	6	3	11	41	8	8	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1441	423	210	757	2831	566	566	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	411	122	60	221	814	163	163	0	40	72
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	31	10	5	17	63	13	13	0	3	5
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	24	8	3	14	49	10	10	0	2	5
20	HELPER / S and T	S and T	204	56	35	101	396	79	79	0	18	35
22	HELPER / SIGNAL	S and T	12	4	2	6	24	5	5	0	1	2
24	HELPER / MEDICAL	MEDICAL	7	2	1	3	13	2	2	1	0	0
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	3	1	0	2	6	1	1	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	359	104	53	191	707	141	141	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	101	30	15	54	200	40	40	0	0	0
	RRB TOTAL		3056	901	477	1653	6087	1216	1216	1	95	175

RRB : AJMER (North Western Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	HELPER / ELECTRICAL / AC	ELECTRICAL	28	8	4	15	55	11	11	0	1	1
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	259	77	38	137	511	102	102	0	3	0
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	3	1	1	2	7	1	1	0	0	0
9	HELPER / CIVIL	ENGINEERING	12	3	1	1	17	3	3	0	0	0
12	HELPER / TRACK MACHINE	ENGINEERING	15	0	1	0	16	3	3	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1541	430	222	705	2898	492	492	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	203	59	29	109	400	79	79	0	3	0
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	11	3	2	6	22	4	4	0	0	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	18	5	4	10	37	7	7	0	1	0
20	HELPER / S and T	S and T	56	16	6	28	106	21	21	0	1	0
22	HELPER / SIGNAL	S and T	9	2	2	4	17	3	3	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	218	64	32	116	430	86	86	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	120	36	18	65	239	48	48	0	0	0
	RRB TOTAL		2493	704	360	1198	4755	860	860	0	9	1

RRB : ALLAHABAD (North Central Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	HELPER / ELECTRICAL / AC	ELECTRICAL	2	1	0	1	4	1	1	0	0	0
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	48	13	6	3	70	14	14	0	0	0
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	29	9	5	16	59	12	12	0	1	0
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	8	3	1	4	16	3	3	0	1	0
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	90	28	11	29	158	32	32	0	3	1
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	98	30	10	31	169	33	33	0	2	1
8	HELPER / BRIDGE	ENGINEERING	30	8	11	9	58	12	12	0	0	0
11	HELPER / P WAY	ENGINEERING	11	3	2	4	20	4	4	0	0	0
13	HELPER / WORKS	ENGINEERING	76	23	11	41	151	30	30	0	3	2
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1297	376	188	648	2509	502	502	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	202	59	30	108	399	80	80	0	0	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	30	9	4	16	59	12	12	0	0	0
19	HELPER MECHANICAL (POWER)	MECHANICAL	3	1	0	2	6	1	1	0	0	0
20	HELPER / S and T	S and T	93	26	0	23	142	28	28	0	0	0
22	HELPER / SIGNAL	S and T	45	14	7	24	90	18	18	0	3	0
23	HELPER / TELECOMMUNICATION	S and T	23	7	4	13	47	10	10	0	1	0
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	26	8	8	12	54	10	10	0	1	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	386	104	49	143	682	136	136	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	36	14	5	14	69	14	14	0	0	0
	RRB TOTAL		2533	736	352	1141	4762	952	952	0	15	4

RRB : BANGALORE (South Western Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	51	15	8	27	101	20	20	0	2	1
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	19	5	3	10	37	7	7	0	0	0
12	HELPER / TRACK MACHINE	ENGINEERING	4	12	3	17	36	7	7	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	702	209	104	373	1388	278	278	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	208	50	20	80	358	72	72	0	1	1
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	9	3	2	5	19	3	3	0	2	1
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	8	3	1	5	17	3	3	0	2	1
20	HELPER / S and T	S and T	31	9	5	15	60	12	12	0	3	1
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	5	1	1	2	9	2	2	3	3	3
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	119	34	17	62	232	46	46	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	28	5	3	0	36	7	7	0	0	0
	RRB TOTAL		1184	346	167	596	2293	457	457	3	13	8

RRB : BHOPAL (West Central Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	HELPER / ELECTRICAL / AC	ELECTRICAL	10	2	4	6	22	4	4	0	0	0
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	23	7	4	13	47	9	9	0	0	0
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	17	2	5	11	35	7	7	0	0	0
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	40	13	12	28	93	18	18	0	0	0
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	1	0	4	0	5	1	1	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1031	306	153	551	2041	408	408	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	290	79	69	175	613	122	122	0	0	0
20	HELPER / S and T	S and T	53	14	10	31	108	21	21	0	1	0
22	HELPER / SIGNAL	S and T	50	15	7	26	98	20	20	0	0	0
24	HELPER / MEDICAL	MEDICAL	0	1	1	1	3	1	1	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	138	18	9	55	220	44	44	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	119	36	18	64	237	47	47	0	0	0
	RRB TOTAL		1772	493	296	961	3522	702	702	0	1	0

RRB : BHUBANESWAR (East Coast Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	HELPER / ELECTRICAL / AC	ELECTRICAL	1	3	6	2	12	2	2	0	0	0
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	9	3	7	4	23	4	4	0	0	0
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	53	19	14	7	93	18	18	0	3	0
12	HELPER / TRACK MACHINE	ENGINEERING	14	5	3	1	23	5	5	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	502	139	65	231	937	187	187	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	78	38	40	27	183	37	37	0	0	0
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	1	0	1	1	3	1	1	0	0	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	2	1	2	2	7	1	1	0	0	0
22	HELPER / SIGNAL	S and T	25	9	5	17	56	11	11	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	38	11	6	21	76	15	15	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	60	17	9	33	119	24	24	0	0	0
	RRB TOTAL		783	245	158	346	1532	305	305	0	3	0

RRB : BILASPUR (South East Central Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	3	3	1	1	8	2	2	0	0	2
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	12	4	2	7	25	5	5	0	0	0
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	7	0	1	9	17	3	3	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	449	135	68	243	895	179	179	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	60	15	9	29	113	23	23	0	1	0
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	3	1	0	2	6	1	1	0	0	0
20	HELPER / S and T	S and T	7	1	1	4	13	3	3	0	0	0
22	HELPER / SIGNAL	S and T	13	3	2	12	30	6	6	0	1	0
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	11	2	0	4	17	3	3	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	22	4	3	6	35	7	7	0	0	0
	RRB TOTAL		587	168	87	317	1159	232	232	0	2	2

RRB : CHANDIGARH (Northern Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	HELPER / ELECTRICAL (WORKSHOP)	ELECTRICAL	16	4	2	8	30	4	4	0	1	0
2	HELPER / ELECTRICAL / AC	ELECTRICAL	27	8	4	15	54	10	10	0	1	1
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	121	35	17	64	237	46	46	0	3	3
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	2	1	0	1	4	1	1	0	0	0
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	42	12	6	22	82	15	15	0	0	0
8	HELPER / BRIDGE	ENGINEERING	89	26	13	47	175	35	35	0	0	0
11	HELPER / P WAY	ENGINEERING	11	2	2	6	21	4	4	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1965	584	294	1051	3894	777	777	0	0	0
15	HELPER / MECHANICAL	MECHANICAL	282	84	42	151	559	109	109	0	7	6
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	607	181	90	326	1204	239	239	0	0	0
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	19	6	3	10	38	6	6	0	1	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	77	23	11	41	152	29	29	0	4	0
19	HELPER MECHANICAL (POWER)	MECHANICAL	10	3	1	5	19	3	3	0	0	0
21	HELPER / S and T (WORKSHOP)	S and T	42	12	6	22	82	16	16	0	1	1
22	HELPER / SIGNAL	S and T	96	29	13	50	188	36	36	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	347	104	54	187	692	137	137	0	0	0
27	GATEMAN	TRAFFIC	132	39	21	69	261	52	52	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	70	21	11	38	140	28	28	0	0	0
	RRB TOTAL		3955	1174	590	2113	7832	1547	1547	0	18	11

RRB : CHENNAI (Southern Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	69	18	20	38	145	29	29	0	1	0
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	91	27	14	48	180	36	36	0	3	2
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	952	279	170	458	1859	372	372	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	280	58	67	68	473	95	95	0	8	6
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	17	5	6	7	35	8	8	0	0	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	13	3	2	7	25	4	4	0	0	0
22	HELPER / SIGNAL	S and T	32	10	11	17	70	14	14	0	0	0
23	HELPER / TELECOMMUNICATION	S and T	8	2	1	4	15	3	3	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	88	29	41	19	177	36	36	0	0	0
	RRB TOTAL		1550	431	332	666	2979	597	597	0	12	8

RRB : GORAKHPUR (North Eastern Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	85	23	25	33	166	33	33	0	1	1
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	48	14	7	26	95	19	19	0	1	1
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	16	4	2	8	30	6	6	0	0	0
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	18	5	3	9	35	7	7	0	0	0
8	HELPER / BRIDGE	ENGINEERING	15	5	2	8	30	6	6	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	909	271	135	486	1801	360	360	0	0	0

RRB : GORAKHPUR (North Eastern Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	163	48	24	86	321	64	64	0	1	1
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	32	10	5	18	65	13	13	0	1	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	7	2	1	4	14	3	3	0	0	0
22	HELPER / SIGNAL	S and T	47	11	19	60	137	27	27	0	1	0
24	HELPER / MEDICAL	MEDICAL	14	4	1	7	26	5	5	0	0	0
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	15	6	3	9	33	6	6	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	137	42	21	75	275	55	55	0	0	0
27	GATEMAN	TRAFFIC	115	35	18	62	230	46	46	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	65	20	10	35	130	26	26	0	0	0
	RRB TOTAL		1686	500	276	926	3388	676	676	0	5	3

RRB : GUWAHATI (Northeast Frontier Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	38	12	6	20	76	15	15	0	0	3
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	36	11	5	20	72	14	14	0	0	2
8	HELPER / BRIDGE	ENGINEERING	51	15	8	28	102	20	20	0	0	0
10	HELPER / CIVIL (WORKSHOP)	ENGINEERING	4	1	0	2	7	1	1	0	0	0
12	HELPER / TRACK MACHINE	ENGINEERING	17	5	3	9	34	7	7	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	869	257	129	464	1719	345	345	0	0	0
15	HELPER / MECHANICAL	MECHANICAL	14	4	3	7	28	6	6	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	22	7	4	12	45	9	9	0	0	1
22	HELPER / SIGNAL	S and T	23	7	3	12	45	9	9	0	0	1
23	HELPER / TELECOMMUNICATION	S and T	15	3	1	6	25	5	5	0	0	0
24	HELPER / MEDICAL	MEDICAL	13	2	2	8	25	5	5	0	0	1
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	12	3	1	6	22	4	4	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	152	46	24	82	304	61	61	0	0	0
27	GATEMAN	TRAFFIC	38	11	4	20	73	14	14	0	0	0
	RRB TOTAL		1304	384	193	696	2577	515	515	0	0	8

RRB : KOLKATA (Eastern Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	3	2	4	10	19	4	4	0	0	0
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	5	8	4	13	30	6	6	0	0	1
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1066	319	163	580	2128	426	426	0	0	0
20	HELPER / S and T	S and T	25	7	13	25	70	14	14	0	0	0
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	4	5	5	0	14	2	2	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	38	10	11	17	76	15	15	0	0	0
27	GATEMAN	TRAFFIC	10	3	2	7	22	4	4	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	4	1	1	2	8	2	2	0	0	0
	RRB TOTAL		1155	355	203	654	2367	473	473	0	0	1

RRB : MUMBAI (Central Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	53	8	9	25	95	19	19	0	4	11
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	38	11	6	20	75	15	15	0	3	3
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	81	19	14	42	156	31	31	0	10	8
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	157	47	29	104	337	67	67	0	0	0
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	108	30	19	60	217	43	43	0	6	4
11	HELPER / P WAY	ENGINEERING	16	5	2	8	31	6	6	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1114	328	164	594	2200	440	440	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	282	86	67	147	582	116	116	0	5	11
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	1	1	2	1	5	1	1	0	1	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	31	9	5	15	60	12	12	0	9	0
20	HELPER / S and T	S and T	34	10	6	18	68	14	14	0	3	2
22	HELPER / SIGNAL	S and T	14	4	2	6	26	5	5	0	0	0
24	HELPER / MEDICAL	MEDICAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	51	14	17	12	94	19	19	5	6	6
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	340	103	51	184	678	136	136	0	0	0
	RRB TOTAL		2321	675	393	1236	4625	924	924	5	47	45

RRB : PATNA (East Central Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	HELPER / ELECTRICAL (WORKSHOP)	ELECTRICAL	8	2	2	4	16	3	3	0	0	0
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	23	7	3	12	45	9	9	0	1	0
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	82	24	12	43	161	33	33	0	3	2
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	35	11	5	19	70	14	14	0	1	1
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	52	15	9	28	104	20	20	0	2	2
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	24	8	4	14	50	10	10	0	1	1
8	HELPER / BRIDGE	ENGINEERING	41	13	8	22	84	17	17	0	0	0
12	HELPER / TRACK MACHINE	ENGINEERING	71	21	11	38	141	28	28	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1747	518	260	934	3459	693	693	0	0	0
15	HELPER / MECHANICAL	MECHANICAL	13	4	2	7	28	6	6	0	0	3*
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	243	74	35	131	483	96	96	0	11	3
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	24	7	3	12	46	9	9	0	1	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	22	7	3	12	44	9	9	0	1	0
20	HELPER / S and T	S and T	9	3	1	6	19	4	4	0	0	0
21	HELPER / S and T (WORKSHOP)	S and T	88	26	13	47	174	35	35	0	4	1
22	HELPER / SIGNAL	S and T	46	14	7	25	92	19	19	0	0	1
23	HELPER / TELECOMMUNICATION	S and T	10	3	2	5	20	4	4	0	0	0
28	PORTER / HAMAL / SWEEPER CUM PORTER	TRAFFIC	478	142	70	255	945	189	189	0	0	0
	RRB TOTAL		3016	899	450	1614	5981	1198	1198	0	25	14*

- Includes 2 HH backlog vacancies

RRB : RANCHI (South Eastern Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	13	8	3	12	36	7	7	0	0	0
4	HELPER / ELECTRICAL / POWER	ELECTRICAL	6	2	2	5	15	3	3	0	0	0
5	HELPER / ELECTRICAL / TRAIN LIGHTING	ELECTRICAL	4	2	1	3	10	2	2	0	0	0
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	35	16	7	18	76	15	15	0	0	0
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	70	31	11	38	150	29	29	0	0	0
11	HELPER / P WAY	ENGINEERING	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0
12	HELPER / TRACK MACHINE	ENGINEERING	21	6	3	11	41	8	8	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	547	161	80	286	1074	215	215	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	192	83	44	116	435	87	87	0	0	0
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	11	3	1	5	20	4	4	0	0	0
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	15	4	1	7	27	5	5	0	0	0
22	HELPER / SIGNAL	S and T	59	19	9	27	114	23	23	0	0	0
23	HELPER / TELECOMMUNICATION	S and T	17	5	3	10	35	7	7	0	0	0
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	6	0	0	1	7	1	1	0	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	241	85	32	123	481	96	96	0	0	0
	RRB TOTAL		1240	426	197	662	2525	503	503	0	0	0

RRB : SECUNDERABAD (South Central Railway)

Cat. No.	Name of the Post	Department	No. of Vacancies									
			UR	SC	ST	OBC	TOTAL	ExSM	CCAA**	VH	OH	HH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	HELPER / ELECTRICAL / GENERAL SERVICES	ELECTRICAL	85	23	13	44	165	32	32	0	9	9
6	HELPER / ELECTRICAL / TRD	ELECTRICAL	84	24	13	44	165	32	32	0	9	9
7	HELPER / ELECTRICAL / TRS	ELECTRICAL	41	11	6	21	79	15	15	0	4	5
8	HELPER / BRIDGE	ENGINEERING	59	19	8	33	119	23	23	0	0	0
11	HELPER / P WAY	ENGINEERING	95	28	14	51	188	35	35	0	0	0
14	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	1986	593	297	1064	3940	786	786	0	0	0
16	HELPER / MECHANICAL / CARRIAGE and WAGON	MECHANICAL	227	70	35	119	451	88	88	0	24	23
17	HELPER / MECHANICAL / DIESEL ELECTRICAL	MECHANICAL	27	8	5	14	54	9	9	0	3	3
18	HELPER / MECHANICAL / DIESEL MECHANICAL	MECHANICAL	87	25	14	46	172	34	34	0	10	9
20	HELPER / S and T	S and T	120	35	17	65	237	46	46	0	11	12
22	HELPER / SIGNAL	S and T	8	2	2	4	16	3	3	0	1	1
25	HOSPITAL ATTENDANT	MEDICAL	27	8	4	14	53	10	10	53	0	0
26	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	408	170	102	204	884	175	175	0	0	0
	RRB TOTAL		3254	1016	530	1723	6523	1288	1288	53	71	71
	GRAND TOTAL		31889	9453	5061	16502	62907	12445	12445	62	316	351*

*Includes 2 HH backlog vacancies

**Vacancies under CCAA are applicable to Apprentices trained in Railway Establishments only.



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्डस्



विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना
सी ई एन 02 / 2018



7 वें के.वे.आ. वेतन मेट्रिक्स के लेवल-1 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती





भारत सरकार, रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्डस



केन्द्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 02/2018 (7 वें के.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती)

प्रकाशन की तिथि : 10.02.2018

अंतिम तिथि तथा समय: 12.03.2018 को 23.59 बजे तक

कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) : संभावित अनुसूची अप्रैल तथा मई, 2018 के दौरान

भारतीय रेलवे के विभिन्न इकाइयों में 7 वें के.वे.आ. वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 के विभिन्न पदों के भर्ती के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विधिवत रूप से पूरी तरह भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2018 को 23.59 बजे तक केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें/वे आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक पद (पदों) के लिए निर्धारित प्रत्येक योग्यता प्राप्त है/पात्रताएं पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।

- 1) इस सीईएन. के पैरा 20.0 में रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचीबद्ध वेबसाइटों के माध्यम से ऑन लाईन ही आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत अपनी चुनी हुई आरआरबी के लिए अधिसूचित सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अभ्यर्थी को केवल एक रे भ बो में ही आवेदन करना है। इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य और वर्जित माना जाएगा।
- 2) ऑन लाइन आवेदन में दिए गए जानकारी के आधार पर ही अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन की प्रति या प्रमाण पत्र की प्रतियां संबंधित आर आर बी को डाक से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात, किसी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना गलत होने/ सही न होने अथवा संबंधित सूचना को छिपाए जाने अथवा उम्मीदवार द्वारा पद (पदों) के लिए अपेक्षित मानदंड पूरे नहीं किए जाने का संज्ञान होता है तो उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।
- 3) उम्मीदवारों को रिकित तालिका देखना आवश्यक है, उनकी पात्रता को पता करें और उनकी पात्रता के अनुसार संबंधित आर आर बी तथा पद का विकल्प चुने। एक बार चुने गए आर आर बी का विकल्प अंतिम होगा।
- 4) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदन किए जा रहे पद से संबंधित चिकित्सा मानक (मानकों) को पूरा करते हैं। आवेदन किए गए पद से संबंधित चिकित्सा मानक (मानकों) को पूरा न करने वाले उम्मीदवारों को वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- 5) वेतनमान
7वें केन्द्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के स्तर 01 में प्रारम्भिक वेतन 18,000/- रुपए एवं अन्य स्वीकार्य भत्तें।
- 6) आयु (01.07.2018 की स्थिति के अनुसार) 18-31 वर्ष - आयु से छूट के संबंध में पैरा 5.1 देखें।
- 7) परीक्षा के चरण : कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) ली जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) परीक्षा के अंकों का मानकीकरण किया जाएगा।
- 8) नैगेटिव मार्किंग : कंप्यूटर आधारित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नैगेटिव मार्किंग की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक गलत उत्तर के लिए काट दिए जाएंगे।
- 9) परीक्षा हाल के अंदर मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ, पैन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, हाथ घड़ी अथवा अन्य कोई संचार उपकरण अथवा पैन/पेंसिल लाना सख्त मना है। इन निदेशों के प्रति किए जाने वाले उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आगे की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है।
- 10) उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन सहित प्रतिबंधित आइटमस् साथ न लाने का परामर्श दिया जाता है क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है।
- 11) रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक चूंकि भर्ती से संबंधित प्रत्येक सूचना केवल एसएमएस अथवा ईमेल से भिजवाई जाती है, अतः उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नम्बर एवं वैध तथा कार्यरत(चालू) ईमेल पता होना चाहिए। किसी भी स्तर पर मोबाइल नम्बर और ईमेल परिवर्तन के लिए अनुरोध पर रेलवे भर्ती बोर्ड विचार नहीं करेगा।
- 12) उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, रेलवे भर्ती बोर्डों के वेबसाइट पर उपलब्ध केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में दिए गए निर्देश एवं सूचना को अच्छी तरह से पढ़ लें।
उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि केन्द्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन के पैरा 20.0 में बताए गए रेलवे भर्ती बोर्डों के अधिकारिक वेबसाइट मात्र पर ही विजित करें और नकली वेबसाइटों एवं नौकरी घोटालेबाजों से सावधान रहे।

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों के लिए प्रवेश उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने की शर्त के साथ पूर्णतः अस्थाई होगा।
- 1.2 उम्मीदवार को ई-बुलावा पत्र भेजे जाने मात्र का अर्थ रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वीकार मानी गई है, ऐसा नहीं होगा।

- 1.3 रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा पात्रता की स्थितियों का सत्यापन, उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के सभी चरणों में सफल होने तथा दस्तावेज सत्यापन के लिए शार्टलिस्ट किए जाने के पश्चात केवल मूल दस्तावेजों से ही किया जाता है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उम्मीदवार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के मानदंड पूरे न किए जाने का संज्ञान होने पर, रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी तथा नियुक्ति किए जाने के पश्चात भी ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।
- 1.4 इस अधिसूचना की प्रतिक्रिया में पद (पदों) हेतु आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएं) तथा चिकित्सा मानक (मानकों) सहित अन्य पात्रताओं से अपने आप संतुष्ट है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक, मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से पायी गयी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है। वे उम्मीदवार पात्र नहीं माने जाएंगे, जिनकी निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। अतः उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 तथ्यों में थोड़े बदलाव के साथ एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएंगे तथा ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- 1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती सेल द्वारा जीवन भर के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया गया हो, जो अवधि अभी पूरी नहीं हुई है तो ऐसे उम्मीदवार इस अधिसूचना की प्रक्रिया में आवेदन न करें। ऐसे उम्मीदवारों का संज्ञान होते ही भर्ती के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 1.7 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का उल्लेख केवल अपने एसएसएलएसी/मैट्रिक परीक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार ही करना चाहिए। तथापि, केवल आई टी आई/एन ए सी शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार आई टी आई/एन ए सी प्रमाणपत्र के अनुसार विवरण दर्ज कर सकते हैं।
नाम परिवर्तित होने की स्थिति में, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में केवल अपने परिवर्तित नाम का उल्लेख ही करना चाहिए। तथापि, मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण पत्रों में दिए गए विवरण अवश्य अनुकूल होना चाहिए। ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए।
ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन के समय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- 1.8 उम्मीदवार द्वारा सभी दस्तावेजों पर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में रनिंग हैंड राइटिंग में एक समान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा ये ब्लॉक/कैप्टल अथवा असंबद्ध अक्षरों में नहीं होने चाहिए। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, पीईटी तथा दस्तावेज सत्यापन (डीवी) इत्यादि के समय विभिन्न स्वरूपों अथवा भाषा में किए जाने वाले हस्ताक्षरों के परिणामस्वरूप उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 1.9 रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट पर भी परीक्षा की तिथि का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद सी बी टी, पी ई टी तथा डी वी के लिए ई-बुलावा पत्र संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। बुलावा पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र, तिथि तथा पारी अंतिम है।
- 1.10 केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में उल्लिखित रिक्तियां अस्थाई हैं तथा इनमें बढ़त अथवा घटत हो सकती है या कुल में शून्य भी हो सकती है या किसी विशेष समुदाय पदों/यूनिटों के संबंध में रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार, बाद में बदल सकती है। बाद के स्तर पर भी रेलवे आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं। बिना कोई कारण बताए रेलवे भर्ती बोर्ड (बोर्डों) को, अतिरिक्त कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं तथा/अथवा पीईटी तथा अतिरिक्त डी वी परीक्षा (जैसा भी लागू हो), अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन इत्यादि के आयोजन का अधिकार प्राप्त है।
रेलवे प्रशासन के पास अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी है तथा सभी पर ऐसे निर्णय अंतिम एवं प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होंगे। अधिसूचित रिक्तियां रद्द किए जाने की स्थिति में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में भाग ले चुके छूट प्राप्त श्रेणियों के उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों द्वारा चुकता की गई शुल्क की धनवापसी नहीं की जाएगी। शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त श्रेणियों की जानकारी के लिए पैरा 7.0 देखें।
- 1.11 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण पूरा होने पर, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार के विकल्प के अनुसार पद एवं रेलवे आबंटित करेगा बशर्त की मैरिट, चिकित्सा मानक और रिक्ति के आधार पर। उम्मीदवार को मैरिट/पसंद के अनुसार इंपेनल करने पर उन्हें किसी अन्य पद या श्रेणी पर विचार करने का अधिकार को समाप्त किया जाएगा।
यद्यपि रे भ बो को उम्मीदवारों द्वारा विकल्प न दिए गए पद/रेलवे/इकाई में आबंटित करने का अधिकार है। प्रशासन के हित में आवश्यक विचार कर उम्मीदवार को संबंधित पद के लिए आबंटित किया जाएगा।
- 1.12 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयन करने पर उम्मीदवार को रेलवे में नियुक्ति की पुष्टि नहीं करता है। रेलवे भर्ती बोर्ड का प्रकाश क्षेत्रीय रेलवे के संबंधित प्राधिकारी को उम्मीदवार के नाम का सिफारिश करना है, उसके बाद क्षेत्रीय रेलवे रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करेगा।
- 1.13 चयनित उम्मीदवारों को यथा लागू प्रतिभूति तथा/अथवा क्षतिपूर्ति बांड का निष्पादन करना होगा।
- 1.14 सामान्यतः रेल कर्मियों की नियुक्ति, उनके पूर्ण सेवा काल के दौरान, उस रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में ही रहती है, जहां उनकी पहली नियुक्ति की गई थी तथा उन्हें किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानांतरण का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तथापि, सेवा की अनिवार्यता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेल कर्मों को भारत अथवा भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग अथवा रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- 1.15 अंतिम रूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार टैरीटोरियल आर्मी की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 1.16 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए वैध जाति प्रमाण पत्र के विवरण के अनुसार, चयन के विभिन्न चरणों यथा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा/पीईटी/दस्तावेज सत्यापन(जैसा भी लागू हो) में भाग लेने के लिए जारी ई-बुलावा पत्र का उपयोग मुफ्त स्लीपर श्रेणी रेलवे पास के लिए स्वीकार्य होगा।
आरक्षण तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण क्लर्क तथा/अथवा टिकट जांच करने वाले कर्मचारी उम्मीदवार की यथार्थता के सत्यापन के लिए उससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैध प्रमाण पत्र की मांग कर सकेंगे। इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग के लिए किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, उम्मीदवार को आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही साथ चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 1.17 रेलवे भर्ती बोर्ड को आवश्यकता समझे जाने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में केन्द्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों में किसी प्रकार की अनुवर्ती परिवर्तन/संशोधन/संवर्धन का समावेश करने का अधिकार है।
- 1.18 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की सहमति से उसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों का सहभाजन अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संगठनों के साथ, संबंधित संगठनों की भर्ती प्रक्रिया के लिए, किया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इस आशय से अपनी सहमति अथवा असहमति दी जा सकती है।

- 1.19 अंतिम क्षणों में भीड़(व्यस्तता) से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सूचित किया जाता है कि वे अपने आवेदन को अंतिम तिथि के पर्याप्त समय से पूर्व जमा करवा दें क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगऑन करने में असमर्थता/असफलता हो सकती है।

उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2.0 रिक्तियाँ

रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे वार विभिन्न पदों के संबंध में रिक्तियों का अस्थाई विवरण तत्काल संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सीईएन में सम्मिलित विभिन्न पदों के पैरामीटर्स (शैक्षणिक, चिकित्सा मानक और दिव्यांग के लिए उपयुक्तता) अनुलग्नक 'क' में है तथा रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे और पदवार रिक्तियाँ अनुलग्नक 'ख' में है।

रेलवे भर्ती बोर्ड वार रेलवे वार रिक्तियों का विवरण												
क्र.सं.	रे.भ. बोर्ड	रेलवे	अभ्यर्थित	अ.जा.	अ.जा.जा.	अ.पि.वा.	कुल	भू.सं.	सीसीए	वीएच	ओएच	एचएच
1	अहमदाबाद	प.रे.	3056	901	477	1653	6087	1216	1216	1	95	175
2	अजमेर	उ.प.रे.	2493	704	360	1198	4755	860	860	0	9	1
3	इलाहाबाद	उ.म.रे.	2533	736	352	1141	4762	952	952	0	15	4
4	बंगलूरु	द.प.रे.	1184	346	167	596	2293	457	457	3	13	8
5	भोपाल	प.म.रे.	1772	493	296	961	3522	702	702	0	1	0
6	भुवनेश्वर	पू.तटीय रे.	783	245	158	346	1532	305	305	0	3	0
7	बिलासपुर	द.पू.म.रे.	587	168	87	317	1159	232	232	0	2	2
8	चंडीगढ़	उ.रे.	3955	1174	590	2113	7832	1547	1547	0	18	11
9	चेन्नै	द.रे.	1550	431	332	666	2979	597	597	0	12	8
10	गोरखपुर	पूर्वोत्तर रेलवे	1686	500	276	926	3388	676	676	0	5	3
11	गुवाहाटी	उ.फ्रं.रे.	1304	384	193	696	2577	515	515	0	0	8
12	कोलकत्ता	पू.रे.	1155	355	203	654	2367	473	473	0	0	1
13	मुम्बई	म.रे.	2321	675	393	1236	4625	924	924	5	47	45
14	पटना	पू.म.रे.	3016	899	450	1614	5981	1198	1198	0	25	14 *
15	रांची	द.पू.रे.	1240	426	197	662	2525	503	503	0	0	0
16	सिकंदराबाद	द.म.रे.	3254	1016	530	1723	6523	1288	1288	53	71	71
	कुल		31889	9453	5061	16502	62907	12445	12445	62	316	351*

* दिव्यांग व्यक्तियों की रिक्तियों का बैकलॉग

** सीसीए के अधीन रिक्तियाँ रेलवे स्थापना में प्रशिक्षित अप्रेंटिसों के लिए लागू है।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक :

दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा (परीक्षाएं) उत्तीर्ण करनी होंगी, जो उम्मीदवार द्वारा चयनित पद (पदों) से संबंधित कार्यों के संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा उसकी चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न मानकों के संबंध में चिकित्सा अपेक्षाओं का वर्णन नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य योग्यता	दृष्टि तीक्ष्णता
1	ए-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/9 बिना चश्मा पहने (फोर्गिंग टेस्ट नहीं) नजदीक की दृष्टि : एसएन:0.6,0.6 बिना चश्मे तथा उम्मीदवार को रंग दृश्यता, बायोनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि परीक्षण में उत्तीर्ण होना है।
2	बी -1	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना (लेंसों की पावर 4 डी से अधिक न हो) नजदीक की दृष्टि : एसएन : 0.6,0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना पढ़ने तथा नजदीकी कार्य करने के लिए अपेक्षित तथा रंग दृश्यता, बायोनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि परीक्षण में उत्तीर्ण होना है।
3	बी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर की दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना (लेंसों की पावर 4 डी से अधिक न हो) नजदीक की दृष्टि : एसएन : 0.6,0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना पढ़ने तथा नजदीकी कार्य करने के लिए अपेक्षित तथा बायोनोकुलर दृश्यता इत्यादि के परीक्षण में उत्तीर्ण होना है।
4	सी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर की दृष्टि : 6/12, 6/18 चश्मे के साथ अथवा बिना नजदीक की दृष्टि : एसएन : 0.6,0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना पढ़ने तथा नजदीकी कार्य करने के लिए अपेक्षित

नोट: उपर्युक्त चिकित्सा मानक केवल सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं हैं तथा ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं।

उम्मीदवारों को यह सूचित दिया जाता है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल खंड 1 के अध्याय 5 का अध्ययन कर लें, जो www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है वे ए2, बी1 तथा बी2 के चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए योग्य नहीं हैं। भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) के खंड 1 पैरा 534 में दिए गए विवरण के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के संबंध में भिन्न चिकित्सा मानक लागू होंगे जो www.indianrailways.gov.in पर देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण

उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि वे स्वयं द्वारा चयनित पदों से जुड़े चिकित्सा मानकों के प्रति अपनी योग्यता सुनिश्चित कर लें। जो उम्मीदवार ए2 चिकित्सा मानक पद के लिए विकल्प चुनते हैं वे कृपया यह नोट करें कि इस पद के लिए चिकित्सा मानक अत्यंत कड़े हैं तथा उन्हें विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि वे ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार चिकित्सा मैनुअल में वर्णित दृश्यता एवं शारीरिक मानकों की अपेक्षा के प्रति अनुकूलता सुनिश्चित कर लें।

4.0 राष्ट्रीयता / नागरिकता

(1) उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

क. भारत का नागरिक, अथवा

ख. नेपाल का मूल निवासी, अथवा

ग. भूटान का मूल निवासी, अथवा

घ. तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई रूप से निवास करने की मंशा से आया है, अथवा

ड. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश के केन्या, युगांडा, तंजानिया गणराज्य, मालावी, जाइरे, इथोपिया तथा वियतनाम से भारत में स्थाई निवास से निवास कर रहा है।

च. बशर्त यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख),(ग),(घ) तथा (ड) की श्रेणी से सम्बद्ध उम्मीदवारी वाले व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(2) ऐसे उम्मीदवार जिसके पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है लेकिन भारत सरकार द्वारा उसे जारी आवश्यक योग्य प्रमाण पत्र देने के बाद ही उसे नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाएगा।

5.0 आयु सीमा : 18 से 31 वर्ष

रिवित तालिका में निर्दिष्ट पद के लिए सूचित न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा 01.07.2018 तिथि पर गणना की जाएगी।

5.1 ऊपरी/अधिकतम आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित श्रेणियों/समुदायों को अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर छूट प्रदान की जाएगी।

क्र. सं.	समुदाय / श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा (अथवा) अधिकतम आयु सीमा में छूट
1.	अनुसूचित जाति / जनजाति के उम्मीदवार	5 वर्ष
2.	अन्य पिछड़े वर्ग – गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवार	3 वर्ष
3.	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात कम से कम 6 महीने का लगातार सेवा की है।	प्रतिरक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा के काल तक जमा 3 वर्ष
4	दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) सामान्य	10 वर्ष
	दिव्यांग व्यक्ति – अन्य पिछड़े वर्ग – गैर क्रीमी लेयर	13 वर्ष
	दिव्यांग व्यक्ति – अनुसूचित जाति/जनजाति	15 वर्ष
5.	वह उम्मीदवार जो 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान मूलतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सामान्य निवासी है।	5 वर्ष
6	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' में कार्यरत हैं, रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर अथवा खंडित भागों में) के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं	अनारक्षित (सामान्य)
		अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
7	रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे, रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनिस्टिट्यूट में काम करने वाले उम्मीदवार	सेवाकाल को प्रस्तुत करने तक या 5 साल, जो कम हो
8	जो विधवा, तलाकशुदा या पति के न्यायिक रूप से अलग रहने वाली लेकिन दुबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार	अनारक्षित (सामान्य)
		अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
9	जिस पद के लिए न्यूनतम योग्यता आई टी आई/कोर्स पूर्ण एक्ट एप्रेंटिस है, ऐसे पद को अप्लाई करने वाले कोर्स पूर्ण एक्ट एप्रेंटिस उम्मीदवार	एप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए एप्रेंटिस प्रशिक्षण का मात्रा तक छूट
10	उम्मीदवार जिसने 25 वर्ष आयु से पहले एप्रेंटिस अधिनियम के तहत एक्ट एप्रेंटिस का कोर्स शुरू किया है।	अनारक्षित (सामान्य)
		अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

5.2 उम्मीदवार की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के मध्य की तिथि होनी चाहिए (दोनों दिन सहित)

क्र.सं.	आयु समूह	जन्म तिथि की ऊपरी सीमा (इस तिथि से पूर्व नहीं)	जन्म तिथि की निचली सीमा (इस तिथि के पश्चात नहीं)	टिप्पणी*
	18 से 31	अनारक्षित (सामान्य)	अन्य पिछड़े वर्ग – गैर क्रीमी लेयर	अनुसूचित जाति / जनजाति
1		02.07.1987	02.07.1984	02.07.1982
				01.07.2000

*यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक कारणों से आयु में छूट का पात्र होता है तो उसे उसकी पात्रता के अनुसार उच्चतम आयु छूट (संचयी नहीं) प्रदान की जाएगी।

5.3 अनारक्षित रिवितियों के प्रति आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए आयु छूट लागू नहीं होगी।

5.4 अनारक्षित रिवितियों के प्रति आवेदन करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को वही आयु छूट प्रदान की जाएगी, जो अनारक्षित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लागू है।

नोट: उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो उसके मैट्रिक/एसएसएलसी अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्शाई गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में आगामी में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.0 शैक्षणिक योग्यताएं :

केंद्रीकृत रोजगार सूचना में अधिसूचित पदों के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड/एनसीवीटी/एससीवीटी से प्राप्त शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। प्रत्येक पद के संबंध में निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्नक-क देखें। उन उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए, जिनका निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है। कोर्स कम्प्लिटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप/आईटीआई के स्थान पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी। कोर्स कम्प्लिटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के स्थान पर ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप स्वीकार नहीं की जाएगी।

7.0 परीक्षा शुल्क

इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत आवेदन करने उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा :-

क्र.सं.	उम्मीदवार का वर्ग	शुल्क
1	क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग	500/- रुपए
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग व्यक्ति/महिलाएं/विपरीतलिंगी/अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। *250/- की राशि शुल्क की धनवापसी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने पर बैंक प्रभार काटकर की जाएगी।	250/- रुपए*

7.1 शुल्क के भुगतान का माध्यम

क. डेबिट /क्रेडिट कार्ड के उपयोग से या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दिनांक 12.03.2018 को 22.00 बजे तक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान।

ख. निम्नलिखित माध्यम से शुल्क का ऑफलाइन भुगतान

1. भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में दिनांक 12.03.2018 को 13.00 बजे तक एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से।

2. किसी भी कम्प्यूटरीकृत डाक घर में दिनांक 10.03.2018 को 13.00 बजे तक पोस्ट आफिस चालान भुगतान के माध्यम से।

उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक लागू सेवा प्रभारों का वहन किया जाएगा। शुल्क का भुगतान उपर्युक्तानुसार ऑफलाइन विधि अर्थात् (ख) 1 एवं 2 के अनुसार किए जाने की स्थिति में रसीद, संभाल कर रखी जानी चाहिए। यह रसीद दस्तावेज सत्यापन के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7.2 इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि तक किसी प्रकार का संशोधन/विलोपन/संवर्धन प्राप्त न होने की शर्त पर अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जोरास्ट्रियनस (पारसी) शामिल होंगे।

परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि वे उपर्युक्त में से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध हैं तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे होते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपए से कम हो। ऐसे उम्मीदवारों के पास निर्धारित प्रारूप में अथवा जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर जारी वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाइन आवेदन के समय दिया जाना चाहिए तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बीपीएल कार्ड तथा इज्जत एमएसटी धारक उम्मीदवार भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अंतर्गत शुल्क में रियायत पाने के पात्र होंगे तथा शुल्क में रियायत का दावा करने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय संबंधित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

7.4 परीक्षा शुल्क रु. 250/- की धन वापसी के लिए पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में लाभग्राही के खाते का विवरण जिसमें वे धनवापसी की अपेक्षा करते हैं अर्थात् लाभग्राही का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या तथा आई.एफ.एस.सी. कोड देना होगा। सीबीटी में उपस्थित होने पर धनवापसी बैंक प्रभार को काट कर दी जाएगी।

8.0 वर्टिकल आरक्षण

8.1 इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग - गैर क्रीमी लेयर के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा विद्यमान नियमों के तहत मांगकर्ता रेलवे द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारणीय होंगे। तथापि, विशिष्ट समुदायों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति केवल सम्बद्ध समुदायों के उम्मीदवारों के संबंध में ही विचार किया जाएगा।

8.3 आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुलग्नक-1 (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए) तथा अनुलग्नक-2 (अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना(आरईएस) तथा दिनांक 27.05.2013, 13.09.2017 एवं इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से सम्बद्ध नहीं हैं। उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के प्रति आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी सम्बद्धता अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछड़े वर्ग का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। समुदाय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रस्तुत किए जाने के अलावा उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह घोषणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लेयर से सम्बद्ध नहीं हैं। ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन/उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शर्तों के अनुरूप सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

8.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता पूर्ण होने की स्थिति में अनारक्षित रिक्तियों के प्रति भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

तथापि, उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी तथा अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करते समय, उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के लिए लागू आयु सीमा छूट सहित अन्य कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का उल्लेख करना चाहिए।

8.5 केंद्रीकृत रोजगार सूचना जारी किए जाने की अंतिम तिथि तक ही समुदाय स्तर के संबंध में आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए पात्र होने की स्थिति में विचार किया जाएगा तथा उम्मीदवार के समुदाय स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.0 हॉरिजॉन्टल आरक्षण :

9.1 इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिकों, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कम्प्लिटेड एक्ट अप्रेंटिस (सीसीए) तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

9.2 भूतपूर्व सैनिकों, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कम्प्लिटेड एक्ट अप्रेंटिस (सीसीए) तथा दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में, जहां कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचना दर्शाई गई है, वह अलग नहीं है तथा रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल की गई है।

9.3 किसी समुदाय वार आबंटन के बिना अलग से बताए गए दिव्यांग रिक्तियाँ जहां भी हो, वे रिक्तियाँ अलग हैं और नियमित रिक्तियों का हिस्सा नहीं हैं।

9.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नहीं हैं। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में छूट तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

- 9.5 दिव्यांग उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित नहीं हैं परन्तु उन्हें ऐसे पद के लिए निर्धारित दृष्टि योग्यता होनी चाहिए। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में छूट तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- 9.6 दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदों को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य उपयुक्त के कारण नहीं भरा गया तो ऐसी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियों के तहत आगे बताया जाएगा।
- केंद्रीकृत सूचना में बताए बैक लॉग रिक्तियों के तहत, यदि सूचित पदों के लिए जो अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर, उपयुक्त पद के लिए अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदों को भर्ती किया जाएगा। कोई दिव्यांग उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के मामले में पदों को नियमित उम्मीदवारों से भरी जाएंगी। (जो दिव्यांग न हो)
- 9.7 रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कम्प्लिटेड एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) किसी पद के लिए चिन्हित किए गए रिक्तियों के बिना भी ये उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए वे आयु रियायत के लिए पात्र होंगे।
- 10.0 भूतपूर्व सैनिक
- 10.1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रैंक (युद्धशील अथवा गैर युद्धशील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलों में सेवा की है परन्तु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने प्रतिरक्षा सुरक्षा कार्पस, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है।
- तथा
- क. वह व्यक्ति जो स्वयं अपने अनुरोध अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात, नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त किए गए पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है, (अथवा)
- ख. ऐसा व्यक्ति, जो मिलिट्री सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है, (अथवा)
- ग. जो ऐसी सेवाओं से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त कर दिया गया है, (अथवा)
- घ. जो ऐसी सेवा से अपनी सेवाओं की विशिष्ट अवधि पूरी होने पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जो उसके अनुरोध पर, अथवा बर्खास्तगी द्वारा, अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण नहीं है तथा उसे उपदान दिया गया है, तथा जिसमें टैरीटोरियल आर्मी, नामतः अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है, (अथवा)
- ङ. आर्मी पोस्टल सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो आर्मी पोस्टल सेवाओं से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में परावर्तन के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो आर्मी पोस्टल सेवाओं से मिलिट्री सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है, (अथवा)
- च. वे कार्मिक जो आर्मी पोस्टल सेवाओं में 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छः माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे, (अथवा)
- छ. टैरिटोरियल आर्मी के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले, (अथवा)
- ज. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए एक्स-रिक्र्यूट्स जिन्हें 1.2.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।
- 10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी परन्तु ऐसे व्यक्तियों को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा न कर लें।
- तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी, जो केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अंदर सेवामुक्त (05.03.2019 को अथवा उससे पूर्व) होने वाले हैं, भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के पास केन्द्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- 10.3 उन भूतपूर्व सैनिकों, जिन्होंने केन्द्र सरकार के समूह 'ग' तथा 'घ' में सिविल रोजगार पहले ही प्राप्त कर लिया है, को केवल केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग/घ' के उच्च ग्रेड अथवा केंद्र में सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार केन्द्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।
- 10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के प्रति आवेदन करता है तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभ प्रदान किए जाएंगे परन्तु ऐसे भूतपूर्व सैनिक को सिविल रोजगार में कार्य भार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस केन्द्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत किए गए आवेदन के विवरण के संबंध में घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।
- 10.5 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) के खंड-1 के अनुसार होंगे जो www.indianrailways.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
- 11.0 दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)
- 11.1 किसी पद पर दिव्यांग व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता का उल्लेख अनुलग्नक 'क' में दिव्यांग व्यक्तियों की योग्यताएं कॉलम में प्रत्येक पद के संबंधित अक्षमता के विवरण के साथ दिया गया है।
- 11.2 अक्षमता की परिभाषाएं: भर्ती के उद्देश्यों से अक्षमता की विभिन्न परिभाषाएं निम्नानुसार हैं: (क) नेत्रहीनता: 'नेत्रहीनता का अर्थ वह स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार में से कोई भी हो (1) पूर्ण दृश्यता न होना, अथवा (2) बेहतर आंख की दृश्यता उचित लेंसों के साथ 6/60 अथवा 20/200 (स्नैल्लेन) से अधिक न होना, (3) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 20 डिग्री अथवा इससे खराब कोण पर होना, (ख) कम दृश्यता: "कम दृश्यता वाले व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसके स्टैंडर्ड रिफ्रेक्टिव कोरेक्शन का उपचार होने के बाद भी दृश्यता की क्रियाएं सही नहीं हैं परन्तु जिसमें उचित सहायक उपकरणों के उपयोग से किसी कार्य की योजना अथवा निष्पादन के कार्य विजन के उपयोग से कर सकने की संभावनाएं हैं। (ग) श्रवण दुर्बलता का अर्थ बेहतर कान में संवाद की फ्रिक्वेंसी की रेंज साठ डेसीबल्स अथवा अधिक की क्षति होना है। इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो मूक एवं बधिर हैं। (घ) लोको मोटर अक्षमता "लोको मोटर अक्षमता" का अर्थ हड्डियों, जोड़ों अथवा मासपेशियों की अक्षमता है जिसके कारण शरीर के अंगों का संचलन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की कोई स्थिति हो। (ङ) प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी): 'प्रमस्तिष्क पक्षाघात' के अर्थ का चित्रण किसी व्यक्ति की जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा शैशव काल के विकास के दौरान मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न असामान्य मोटर कन्ट्रोल मुद्रा के कारण उत्पन्न गैर-विकासशील अवस्थाओं के रूप में किया जा सकता है। (च) प्रत्येक मामलों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को "लोको मोटर अक्षमता अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात" की श्रेणियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

11.3 छूट के लिए अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:

केवल वही व्यक्ति, अपने संबंधित समुदाय में सेवाओं/पदों के संबंध में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिनकी संबंधित अक्षमता का प्रतिशत 40 से कम नहीं है। छूट के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को अनुलग्नक 5(क), 5(ख) तथा 5(ग) [“दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) संशोधन नियमावली, 2009 के पैरा 14 में निर्धारित फार्म II, III अथवा IV के अनुसार] के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11.4 लेखन (स्काइब) के लिए सहायता : दृष्टि विकलांग उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार, जिनकी लेखन की गति प्रमस्तिष्क पक्षाघात के कारण प्रभावित है/एक हाथ वाले उम्मीदवार/मांसपेशियों की कमजोरी वाले उम्मीदवार अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्काइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्काइब की सहायता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को इससे संबंधित उल्लेख ऑनलाइन फार्म में करना चाहिए। स्काइब की सेवाएं निम्नलिखित शर्तों पर प्राप्त की जा सकती हैं:-

क. उम्मीदवार को अपने लिए स्काइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

ख. उम्मीदवार के साथ आने वाले स्काइब को अलग से ई-प्रवेश कार्ड जारी किया जाएगा।

ग. परीक्षा के दौरान लेखक द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का उत्तरदायित्व स्काइब को लाने वाले उम्मीदवार का होगा।

घ. जिस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार द्वारा स्काइब की सेवाएं प्राप्त की गई हैं, उस अधिसूचना के अंतर्गत स्काइब स्वयं उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी एक स्काइब की सेवाएं, एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए नहीं ली जानी चाहिए तथा इसके संबंध में स्काइब एवं उम्मीदवार को घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इसके प्रति किए गए उल्लंघन की जानकारी किसी स्तर पर होने की स्थिति में स्काइब तथा उसका लेखन कार्य अयोग्य मान लिया जाएगा।

स्काइब की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फार्म प्रस्तुत करते समय स्काइब के संबंध में अनुलग्नक-5(घ) में अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा लेखक का ई-प्रवेश पत्र जारी किया जा सके तथा ऐसे ई-प्रवेश पत्र पर उम्मीदवार तथा स्काइब, दोनों, द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। परीक्षा स्थल पर स्काइब बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। अतः परीक्षा के समय स्काइब की उपलब्धता का सुनिश्चय उम्मीदवार को कर लेना चाहिए। तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों में विधिवत कारणों से रिकार्ड करके तथा स्काइब के फोटोग्राफ सहित संबंधित विवरण प्रस्तुत करने पर ऐसे परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

स्काइब की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।

11.5 एक आंख वाले उम्मीदवार तथा ऐसे उम्मीदवार, जिनकी दृष्टि की अक्षमता की डिग्री 40 प्रतिशत से कम है, को दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा तथा उनके लिए स्काइब की सेवाएं प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

11.6 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा नियत समय पर की जाएगी तथा केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल तथा अन्य लागू प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत चिकित्सा मानकों पर खरा उतरेंगे।

11.7 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियां आरक्षित होने की स्थिति में जब अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अंकों का योग्यता के प्रतिशत से युक्त पैलल का निर्माण करना संभव नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जा सकेगी।

12.0 रेलवे एक्ट अप्रेंटिस

12.1 रेल स्थापनाओं में प्रशिक्षित सत्र पूरा किए एक्ट अप्रेंटिस (सीसीए) तथा राष्ट्रीय वोकेशनल प्रशिक्षण काउंसिल द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अप्रेंटिसिप प्रमाणपत्र (एनएसी) पाने वाले द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियां अलग से रिक्त तालिका में दर्शायी गई है।

यह विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) तथा भूतपूर्व सैनिक के मामले में लागू हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रकृति का होगा। फिर भी पीडब्ल्यूडी मामले से भिन्न इस प्रक्रिया के दौरान भरने वाले रिक्तियों में नहीं भरे रिक्तियों को अग्रणी नहीं किया जाएगा। कमी के मामले में, रिक्त स्लॉट को संयुक्त मैरिट सूची में से अन्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

12.2 इस सीइएन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अप्रेंटिसिप पूरा करने का कट ऑफ दिनांक होगी। एक उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिसिप प्रशिक्षण पूरा किया हुआ तब माना जाएगा जब वह सीइएन की अंतिम तिथि से पहले एनसीवीटी परीक्षा में उपस्थित हुआ हो और परिणाम का घोषणा नहीं हुआ हो। फिर भी, उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एनसीवीटी द्वारा जारी एनएसी प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा, ऐसा नहीं करने पर इस प्रावधान के अंतर्गत सीसीए (रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित) आरक्षण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

12.3 सत्र पूरा किए एक्ट अप्रेंटिस अन्य अर्हता शर्तों को पूरा करने पर किसी भी आरआरबी को आवेदन करने के लिए पात्र होंगे ना कि केवल उनके प्रशिक्षित रेलवे स्थापना के लिए।

आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट

ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग-गैर क्रीमी लेयर/दिव्यांग जन/भूतपूर्व सैनिक/ सीसीए (रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित) के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, को नियमावली/केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में निर्दिष्ट पात्रता के अनुसार आरक्षण/छूट प्राप्त करने की अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने दावे के समर्थन में नियमावली/केन्द्रीकृत रोजगार सूचना में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज अपने साथ लाने चाहिए।

13.0 अनापत्ति प्रमाण पत्र

केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग, रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित, में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न किए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट : उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार को आवेदन करने/परीक्षा में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/उम्मीदवारी को रद्द/निरस्त किया जा सकता है।

14.0 भर्ती प्रक्रिया

उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की कार्यालयीन वेबसाइट पर प्रावधान लिंक द्वारा अपनी चुनी हुई रेलवे भर्ती बोर्ड में सभी अधिसूचित पदों के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है।

भर्ती की पूर्ण प्रक्रिया में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण यथा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शामिल है।

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा दस्तावेज सत्यापन या अतिरिक्त क्रियाकलाप के लिए तिथि, समय तथा स्थल का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा उसकी सूचना पत्र उम्मीदवारों को विधिवत दी जाएगी। उक्त में से किसी भी क्रियाकलाप का स्थगन, स्थल, तिथि तथा पारी में परिवर्तन में बदलाव से संबंधित अनुरोध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा

सभी योग्य उम्मीदवारों को आरआरबी की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए ई-कॉल पत्र के अनुसार कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में निर्धारित दिनांक, समय तथा स्थल पर भाग लेना है। ई कॉल पत्र की डाउन लोड सूचना वेबसाइट तथा वैयक्तिक ई-मेल द्वारा उम्मीदवारों को संसूचित की जाएगी।

कुल अवधि : 90 मिनट

प्रश्नों की संख्या : 100

विभिन्न वर्ग के अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की पात्रता : अनारक्षित - 40 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग - 30 प्रतिशत, अनुसूचित जाति -30 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति - 30 प्रतिशत।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में दिव्यांग उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

प्रश्न का तरीका तथा पाठ्यक्रम :

वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार में बहु विकल्पों के साथ प्रश्न होंगे तथा इनमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं:-

क. गणित

संख्या पद्धति, BODMAS, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्त्य (एलसीएम), महत्तम समापवर्तक (एचसीएफ), अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, मेन्सुरेशन, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकीए वर्गमूल, आयु की गणना, कैलेंडर और घड़ी, नल और टंकी आदि।

ख. सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रमानुसार और संख्या श्रंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, प्रतीकों द्वारा प्रस्तुति, जंबलिंग, वेन आरेख, आंकड़ा निर्वचन और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन-तर्क और धारणाएं आदि।

ग. सामान्य विज्ञान

10 वीं स्तर के पाठ्यक्रम के भौतिकी, रासायन विज्ञान तथा जैविक विज्ञान शामिल होंगे।

घ. सामयिकी पर सामान्य जागरूकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर।

14.2 शारीरिक परीक्षण (पीईटी)

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आरआरबीयों से अधिसूचित पदों के लिए समुदायवार कुल रिक्तियों के दो गुना बुलाया जाएगा। फिर भी रेलवे को सभी अधिसूचित रिक्तियों के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार ये सीमा बढ़ाने/घटाने का हक आरक्षित है। पीईटी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और ये अर्हता प्रकार का होगा। पीईटी के मापदंड निम्न प्रकार हैं।

पुरुष उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार
35 किलोग्राम वजन को उठाकर दो मिनट में एक अवसर में वजन को नीचे गिराये बिना 100 मी तक ले जाना चाहिए। तथा 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही अवसर में दौड़ना चाहिए।	20 किलोग्राम वजन को उठाकर दो मिनट में एक अवसर में वजन को नीचे गिराये बिना 100 मी तक ले जाना चाहिए। तथा 1000 मीटर की दूरी को 5 मिनट 40 सेकंड में एक ही अवसर में दौड़ना चाहिए।

नोट: पैरा 11.0 में विनिर्देशित विकलांग व्यक्तियों को पीईटी में उपस्थित होने से छूट दी जाती है। फिर भी सीबीटी में उत्तीर्ण होने के बाद ऐसे उम्मीदवारों को विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिवत चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना है।

14.3 दस्तावेज सत्यापन और उम्मीदवारों को पैनलबद्ध करना।

सीबीटी में उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन करने के आधार पर और पीईटी में क्वालीफाई करने के अधीन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

यदि दो या अधिक उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी मेरिट स्थिति का निर्धारण उनकी उम्र संबंधी मानदंड से किया जाएगा अर्थात् ज्यादा उम्र के उम्मीदवार को उच्च वरीयता दी जाएगी।

चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करने, शैक्षिक एवं समुदाय प्रमाणपत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पिछले जीवन/चरित्र के सत्यापन के अधीन होगी।

उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेल भर्ती बोर्ड केवल पैनलबद्ध उम्मीदवारों के नाम की अनुसंशा करता है और उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा।

15.0 आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवारों को कोई एक आरआरबी की रिक्तियों के लिए ही ऑन लाइन आवेदन पैरा 20.0 में सूचित आरआरबी की अधिकारिक वेबसाइट को संदर्शन कर प्रस्तुत करना होगा।

क) आरआरबी की अधिकृत वेबसाइट पर दिए गए लिंक सी ई एन 02/2018 पर क्लिक करके आवेदन फार्म भरने से पहले उम्मीदवार सीईएन में दी गई सभी सूचनाओं और विस्तृत निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह बहुत जरूरी है कि उम्मीदवार आवेदन भरते समय किसी गलती से बचने के लिए अधिसूचना की सारी सूचना को अच्छी तरह से समझ ले।

ख) आवेदन भरने से पहले जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेज तैयार रखें।

उम्मीदवार को शीघ्रता से आवेदन भरने के लिए आवेदन वाले पेज पर लॉगिन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में तैयार रखने चाहिए:

- उम्मीदवार का रंगीन फोटोग्राफ: जेपीईजी इमेज, जिसका साइज 20 से 50 केबी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (निःशुल्क यात्रा पास मांगने वाले उम्मीदवारों के लिए): जेपीईजी इमेज, जिसका साइज 50 से 100 केबी होना चाहिए।
- लिखने वाले व्यक्ति (स्क्राइब) का रंगीन फोटोग्राफ (जहां-कहीं लागू हो): जेपीईजी इमेज, जिसका साइज 20 से 50 केबी होना चाहिए।

ग) शैक्षिक योग्यता तथा उम्मीदवार आरक्षण कोटी के लिए आरआरबी वार रिक्रियों की जांच :

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनकी शैक्षिक योग्यता हेतु सभी आरआरबी द्वारा अधिसूचित रिक्रियों के लिए इस सीईएन में रिक्रि तालिका की जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि वे ऑनलाइन आवेदन जिस आरआरबी को करना चाहते हैं उसमें अपनी शैक्षिक योग्यता तथा समुदाय/कोटी की रिक्रिया हैं और अर्हक आयु व चिकित्सा मानक रखते हैं।

आगे अर्हतानुसार आरआरबी वार रिक्रियों की शीघ्र पहचान करने सीईएन 2/2018 रिक्रि तालिका पर क्लिक करें तथा निम्न प्रकार आगे बढ़ें:

1. प्रथम तालिका सभी आरआरबी के रिक्रियों को आरआरबी वार संक्षिप्त में दर्शाता है।
2. आगे आरआरबी द्वारा अधिसूचित रिक्रि पद के विस्तृत विवरण के लिए उम्मीदवार आरआरबी के सर्च मेनु के डॉपडाउन सूची से आरआरबी का चयन कर उस आरआरबी के अधिसूचित पदों की रिक्रियों को देख सकते हैं।
3. रिक्रि विवरण को देखने के बाद, उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन करने वाले आरआरबी में अपने शैक्षिक योग्यता हेतु तथा समुदाय/पीडब्ल्यूबी/भूतपूर्व सैनिक कोटी में रिक्रि उपलब्ध है। उसके बाद आरआरबी का चयन कर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद किसी भी स्थिति में आरआरबी में बदलाव अनुमत नहीं है।

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में नवीनतम जानकारी और इस अधिसूचना में किसी बदलाव के बारे में जानने के लिए आरआरबी की वेबसाइट (वेबसाइटों) को देखते रहें।

वैध दस्तावेजों से यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवारों का है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई समस्त सूचना सही है।

उम्मीदवार कृपया ध्यान दें:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ईमेल को पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान चालू रखें क्योंकि आरआरबी द्वारा सभी सूचनाएं/जानकारी केवल एसएमएस/ईमेल के द्वारा दी जायेगी। आरआरबी किसी भी चरण में मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

उम्मीदवार नोट करें कि रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ संपर्क/भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए अपना पंजीकरण संख्या संभाल कर रखें।

15.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण:

उपरोक्त दिए पैरा 15क, ख तथा ग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में विभिन्न पद के लिए भर्ती हेतु CEN 2/2018 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होम पेज के “न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक” पर क्लिक करें और नीचे दिए अनुसार करें:-

क. जांच बॉक्स पर क्लिक करके पुष्टि करें कि आपने निर्देश स्पष्ट रूप से पढ़ और समझ लिया है।

ख. अपने पसंद के आरआरबी जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं, का चयन करें। सावधान रहें कि एक बार चयन किए गए आरआरबी को रजिस्ट्रेशन के बाद बदल नहीं सकते हैं।

ग. रजिस्ट्रेशन विवरण : सामान्य निर्देश के पैरा 1.7 के अनुसार अपना नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम, मां का नाम, आधार नंबर, राज्य, समुदाय, एसएसएलसी/मैट्रिक रोल नंबर, एसएसएलसी/मैट्रिक की परीक्षा पास करने का वर्ष, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करें और फिर पंजीकरण के लिए सबमिट करें। मात्र आईटीआई/एनएसी शैक्षणिक योग्यता रखनेवाले उम्मीदवार एसएसएलसी/मैट्रिक रोल नं./पास करने के वर्ष के बजाय आईटीआई/एनएसी के लिए रोल नं./पास करने का वर्ष एंटर कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए सबमिट करने से पहले सुनिश्चित और पुष्टि कर लें कि ऊपर दी गई सभी सूचना सही है क्योंकि पंजीकरण के लिए दिए गए विवरण में बदलाव आगे चलकर नहीं किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग किया गया ई मेल आई डी आपका ही हो और विशिष्ट हो। यह भी नोट करें कि ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान ओटीपी के साथ ई मेल और मोबाइल नंबर दोनों की जांच की जाएगी।

घ. ओटीपी के द्वारा ई मेल आई.डी और मोबाइल नंबर की जांच:- पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करने पर आपके ई मेल को एक ओटीपी तथा आपके मोबाइल को दूसरा ओटीपी भेजा जाएगा। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के होम पेज पर “ओटीपी के द्वारा जांच” पर क्लिक करें तथा अपने ई-मेल पर आए ओटीपी और मोबाइल पर आए ओटीपी को संबंधित कॉलम में एंटर करें। दोनों ओटीपी को एंटर करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, जो ई मेल आई.डी या मोबाइल नंबर के संचार के माध्यम की जांच करेगा। अतः यह सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नंबर सही एंटर करें।

इ-मेल और मोबाइल नंबर दोनों को जांचने के बाद उम्मीदवार के लिए एक यूनिक नंबर जेनरेट होगा। उम्मीदवार इसे नोट करें की भर्ती प्रक्रिया के दौरान बाद के सदर्भों के लिए उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखना है तथा रजिस्ट्रेशन नंबर की मांग के लिए अनुरोध पर कोई आरआरबी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार होम पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग कर “केन्डीडेट लॉग इन” पर क्लिक कर आनलाइन आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।

च. भाग-1 आवेदन पृष्ठ में शैक्षणिक योग्यता, समुदाय लिंग धर्म भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, सीसीए, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उमर में छूट के लिए पात्र श्रेणी के विवरण सहित अन्य विवरण देने होंगे।

छ. उपरोक्त के अनुसार आवेदन विवरण पूरा भरने के बाद उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए अनुसार भुगतान चुनने के लिए भुगतान मोड पत्रपृष्ठ पर अर्थात् बैंक (आनलॉन नेट बैंकिंग /क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और ऑफ लाइन- चालान) या पोस्ट ऑफीस चालान के साथ भुगतान पृष्ठ पर डाइरेक्ट किया जाएगा। कृपया भुगतान के प्रत्येक मोड के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय नोट करें और आवेदन समय पर प्रस्तुत करें।

ज. ऑन लाइन भुगतान के मामले में आपको अतिरिक्त विवरण भरने के लिए भाग-2 में स्वतः भेजा जाएगा। बैंक-ऑफ लाइन मोड के जरिए भुगतान करने वाले उम्मीदवार को भुगतान की पुष्टि मिलने में लगभग एक घंटे का समय लग सकता है, इसलिए उन्हें 60 मिनट के बाद फिर से लॉग इन करना होगा और भुगतान स्थिति की पुष्टि को देखना होगा। पोस्ट ऑफीस भुगतान की मामले में भुगतान पुष्टि का समय 24 घंटे 48 घंटे तक हो सकता है। पुष्टि स्थिति प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार आवेदन का भाग-2 भरना शुरू कर सकता है।

परीक्षा शुल्क रिफंड के अर्ह उम्मीदवारों को ऑन लाइन आवेदन में उस लाभार्थी के खाते का विवरण यथा लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड देना होगा, जिसमें वे रिफंड पाना चाहते हैं।

झ. आवेदन पत्राष्ट भाग II में निम्नलिखित विवरण होंगे।

- * पदों के लिए प्राथमिकता का चयन : उम्मीदवारों को अगर अपने शैक्षणिक योग्यता और दिए गए अन्य विवरण के अनुसार एक से ज्यादा पद के लिए अर्ह होने पर पद के लिए प्राथमिकता का चयन करना होगा। उम्मीदवार के लिए आवेदन भरने वाले आरआरबी में अर्ह पदों की सूची (चयनित आरआरबी में) दर्शायी जाएगी। उम्मीदवार “सेट प्रियारिटी” बटन को क्लिक करते हुए अर्हक विभिन्न पदों के प्राथमिकताओं को चयन कर सकता है। उम्मीदवार सभी सूचिगत पदों के लिए या कुछ एक के लिए प्राथमिकताएं दर्ज कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम एक प्राथमिकता देना आवश्यक है।
- * लिखने वाला व्यक्ति (स्क्राइब) (केवल पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों पर लागू)। स्क्राइब का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करके उसका विवरण मुहैया कराएं। स्क्राइब की सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। परीक्षा स्थल पर स्क्राइब को सामान्यतः बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर भी, अपवादिक परिस्थितियों में कारण दर्ज करके और स्क्राइब का फोटोग्राफ सहित संबंधित विवरण भरकर इसे बदलने की अनुमति दी जा सकती है।
- * विस्तृत शैक्षणिक योग्यता: आवेदन में यथा अपेक्षित योग्यता से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।
- * परीक्षा भाषा का चयन : अंग्रेजी डीफॉल्ट भाषा है। अगर उम्मीदवार और किसी भाषा का चयन चाहता है तो पैरा 20.0 के भाषाओं की डाउन लोड सूची तालिका में से अतिरिक्त भाषा का चयन कर सकता है। अगर अंग्रेजी और चयनित भाषा में व्यत्यय होने पर अंग्रेजी पाठ का सार प्रबल रहेगा।
- * बचे हुए खानों में मातृभाषा और पता आदि को भरना।

ट. रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना : अपलोड फोटो टेब को सलेक्ट करें और अपना रंगीन फोटो अपलोड करें। रंगीन फोटोग्राफ निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए:-

- रंगीन फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए।
- फोटोग्राफ का साइज 35 एमएम X 45 एमएम होना चाहिए और इस पर नाम और तिथि मुद्रित किया होना चाहिए।
- यह जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 100डीपीआई में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
- फोटोग्राफ का साइज 20-50 केबी होना चाहिए।
- रंगीन फोटोग्राफ किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में 01.12.2017 को या इसके बाद का खींचा हुआ होना चाहिए। मोबाइल से खींचा गया फोटोग्राफ और स्वयं के द्वारा बनाया गया प्रोट्रेट के मामले में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- फोटो में उम्मीदवार का बिना किसी टोपी या सनग्लासेस का स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए।
- कैमरा में देखते हुए पूरे चेहरे के व्यू के साथ फोटोग्राफ का कम से कम 50 प्रतिशत भाग चेहरे से कवर होना चाहिए।
- चेहरे के मुख्य फीचर्स सिर के बाल या किसी कपड़े या परछाई से ढके नहीं होनी चाहिए।
- माथा, आंखें, नाक और टोड़ी स्पष्ट नजर आना चाहिए।
- यदि उम्मीदवार को चश्मा लगा हुआ है तो फोटोग्राफ में शीशों पर कोई ग्लेयर नहीं होना चाहिए।
- फोटोग्राफ सीबीटी, पीईटी, दस्तावेज सत्यापन वाले दिनों पर उम्मीदवार की आकृति से मैच होना चाहिए।
- उपरोक्त बताए स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही दिव्यांग उम्मीदवार पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करना चाहिए न कि दिव्यांग प्रमाण पत्र में उपयोग पूरे शरीर का फोटोग्राफ।

ठ. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में इस्तेमाल और भर्ती प्रक्रिया के दौरान जरूरत के लिए इस फोटोग्राफ की कम से कम 12 (बारह) प्रतियां रखें।

ड. अजा/अजजा के उम्मीदवारों को निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी का रेल पास) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्कैन की गई हुई प्रति (जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट, 50 केबी-100 केबी) अपलोड करनी चाहिए।

ढ. उम्मीदवार आरआरबी परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को आरआरबी द्वारा संबंधित संगठनों में भर्ती के लिए दूसरे मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू और प्राइवेट संगठनों के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं।

ण. अंत में उम्मीदवारों को इस घोषणा की पुष्टि करनी होगी कि “मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदित पद (पदों) के पात्रता मापदंडों को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है और इसमें दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता हूँ, कि आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान, या इसके बाद मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है तो रेलवे प्रशासन मेरे द्वारा आवेदित पद (पदों) के लिए मुझे अयोग्य घोषित कर सकता है या मौजूदा नियमों के अनुसार मेरे खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है”। उपरोक्त घोषणा की पुष्टि करने और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, पूरा आवेदन एक बार फिर से पुष्टि के लिए प्रदर्शित होगा और पुष्टि करने पर उम्मीदवार आवेदन का प्रिंटआउट लेकर इसे संदर्भ और रिकार्ड के लिए संभाल कर रख सकता है।

15.2 आवेदन में सुधार करना:-

क. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, यदि उम्मीदवार आवेदन में असावधानीवश हुई गलती को ठीक करने के लिए मामूली सुधार करना चाहता है तो वह 250 रुपए का सुधार शुल्क (अप्रतिदेय) अदा करके, आरआरबी,पंजीकरण संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर दूसरे विवरण में सुधार कर सकता है। सुधार शुल्क छूट वाली श्रेणियों सहित सभी उम्मीदवारों को देनी होगी और यह शुल्क किसी भी श्रेणी को वापस नहीं किया जाएगा। पंजीकरण और आवेदन विवरण में केवल दो बार सुधार किया जा सकता है।

ख. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान किया जाता है कि यदि वे अपने आवेदन में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें इस काम को सीईएन की अंतिम तिथि और समय से पहले करने की सलाह दी जाती है। यदि, अंतिम समय की भिड़-भाड़ के कारण सुधार का प्रयास किसी चरण में विफल हो जाता है और किया गया सुधार समय पर सेव या सबमिट नहीं हो पाता है तो आवेदन में पहले प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया जाएगा और इस विषय में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को ध्यान देना होगा कि अपने ऑनलाइन प्रक्रिया के सभी चरणों पर डाटा का जांच परिवर्तन के दौरान पद की प्राथमिकता सहित जांच करना होगा ताकि पद के लिए उम्मीदवार की अर्हता अपना संशोधित डॉटा के आधार पर बदल सकता है। परिवर्तन प्रक्रिया में उम्मीदवार को अंतिम प्रस्तुति पूरा करने तक आवेदन में पहले दिए गए सूचना पर ही विचार किया जाएगा और इस पर किसी भी पत्राचार का ग्रहण नहीं किया जाएगा।

ग. पंजीकरण संख्या, चयनित आरआरबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में बदलाव नहीं किया जा सकता।

घ. आवेदन में सुधार की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

i. सीईएन 02/2018 के ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर “ माडिफ़ै अप्लिकेशन” लिंक पर क्लिक करें।

ii. पंजीकरण संख्या और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करें।

iii. वास्तविक परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए उपलब्ध किसी भी मोड के जरिये सुधार शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर सकते हैं। निर्धारित समय व दिनांक के अंदर भुगतान करने को सुनिश्चित करें।

iv. भुगतान करने के बाद, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करें। दिए गए निर्देशों के अनुसार वांछित सुधार करें और आवेदन सबमिट करें। नए आवेदन के प्रिंटआउट को रिकार्ड के लिए संभाल कर रखें।

v. आवेदन प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा करें। नए आवेदन के प्रिंटआउट को रिकार्ड के लिए संभाल कर रखें।

15.3 अमान्य आवेदन/निरस्त करना:

निम्नलिखित कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं:-

क. अमान्य फोटो जैसे श्वेत एवं श्याम फोटो के कारण चश्मे या टोपी पहन कर खिंचाई गई फोटो, ऐसी फोटो जिसकी आकृति ठीक नहीं है, छोटा साइज, पूरा शरीर, चेहरे का केवल एक हिस्सा, फोटो पहचान योग्य न होना, फोटो की फोटोकॉपी, ग्रुप फोटो, नाम और तिथि के बिना फोटो, फोटो के बिना ऑनलाइन आवेदन आदि।

ख. विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी के लिए एक से अधिक आवेदन। ऐसे सभी मामलों में आवेदन निरस्त किए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआसी के भविष्य परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा।

ग. आरआरबी/आरआसी की किसी बहिष्कृत सूची में उम्मीदवार का नाम आना।

घ. कोई अन्य अनियमितता जो आरआरबी के ध्यान में आए और उसके द्वारा अमान्य मानी जाए।

ड. यदि आवेदन निरस्त हो जाता है तो उम्मीदवार इस तरह के निरस्त के कारण (कारणों) के साथ आरआरबी की वेबसाइट पर अपना स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं और यह उनके लिए बाध्यकारी होगा और इस विषय पर किसी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन निरस्त होने के मामले में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई है, पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट भी भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

16.0 सीबीटी/पी.ई.टी./डी.वी के लिए हॉल टिकट (ई-कॉल लैटर):-

16.1 उम्मीदवार आरआरबी की वेबसाइट से अपनी पात्रता स्टेटस का सत्यापन कर सकते हैं। ई-कॉल लैटर अपलोड विवरण के बारे में सभी पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल मैसेज भेजा जाएगा।

16.2 पात्र उम्मीदवार सीबीटी/पीईटी/दस्तावेज सत्यापन (यथा लागू) की तारीख से लगभग 10 दिन पहले आरआरबी की वेबसाइट से ई-कॉल लैटर (स्क्राइब के लिए ई-कॉल लैटर सहित, जहां कहीं लागू हो) डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को डाक से कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।

उम्मीदवारों को ई-कॉल लैटर में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पूर्णतया पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

अजा/अजजा के उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (शयनयान श्रेणी का रेल पास) का लाभ लेने के लिए अपने समुदाय प्रमाण पत्र के विवरण अपलोड किए हैं, सीबीटी/पीईटी/डीवी (यथा लागू) के ई-कॉल लैटर में निःशुल्क यात्रा प्राधिकार शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई-कॉल लैटर और अजा/अजजा प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करके टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान, ये उम्मीदवार अजा/अजजा मूल प्रमाणपत्र और मूल निर्दिष्ट पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क वसूला जाएगा।

16.3 उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र में वैध फोटो पहचान पत्र (यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/कॉलेज/यूनिवर्सिटी का फोटो पहचान पत्र आदि) की मूल प्रति के साथ ई-कॉल लेटर लाना होगा, जिसमें विफल रहने पर उम्मीदवार को सीबीटी/पीईटी/दस्तावेज सत्यापन (यथा लागू) में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16.4 उम्मीदवार को सीबीटी/पीईटी/दस्तावेज सत्यापन (यथा लागू) में शामिल होने के लिए एक रंगीन फोटोग्राफ (साइज 35एमएम x 45 एमएम) भी लाना होगा, जो आवेदन में अपलोड किया गया था, इसमें बिना टोपी और सनग्लासेस के उम्मीदवार का फ्रंट व्यू स्पष्ट होना चाहिए।

परीक्षा के लिए आते समय उम्मीदवार को डाउनलोड किए गए ई-कॉल लैटर में दी गई खाली जगह को परीक्षा के समय स्व-घोषणा अनुच्छेद लिखने, हस्ताक्षर करने, बाएं अंगूठे का निशान लगाने के लिए बिना भरा छोड़ना चाहिए।

उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र में निरीक्षक के सामने सीबीटी केन्द्र में स्व-घोषणा का पैराग्राफ लिखना, हस्ताक्षर करना और बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा और परीक्षा समाप्त होने से पहले इसे निरीक्षक को सौंपना होगा। स्व-घोषणा पैरा और/या हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में करने वाले उम्मीदवारों को निरस्त कर दिया जाएगा।

16.5 उम्मीदवारों के आवंटित परीक्षा केन्द्र, तिथि और सत्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर आर आर बी विचार नहीं करेगा।

17.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्र के फार्मेट:

दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियों के दो सेट के साथ सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी हैं। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज सत्यापन की तिथि से पहले www.rrbdv.in पोर्टल के जरिये यथा अपेक्षित सभी मूल प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियां (ड्रू कलर में) अपलोड करनी चाहिए।

सभी दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। यदि प्रमाण पत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं तो जहां-कहीं/जब-कभी अपेक्षित हो, स्व-प्रमाणित अनुदित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत प्रमाणपत्र विनिर्धारित फार्मेट में होनी चाहिए।

दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

सत्यापन के लिए उम्मीदवार द्वारा मूल रूप में लाए जाने वाले दस्तावेज (यथा लागू) नीचे दिए गए हैं:-

- 17.1 जन्म तिथि और मैट्रिक पीक्षा योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिक परीक्षा/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र । (आवेदन में दिए गए उम्मीदवार के नाम और पिता/मां के नाम का सत्यापन इस प्रमाणपत्र में दिए गए नाम से किया जाएगा)।
- 17.2 एनसीवीटी/एनटीसी/एनएसी/ एससीवीटी यथा लागू।
- 17.3 अनुलग्नक-। के अनुसार फार्मेट में अजा/अजजा प्रमाणपत्र
- 17.4 अनुलग्नक-।। के अनुसार दिए गए फार्मेट में अ पि व -गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र।
- 17.5 अनुलग्नक-।।। के अनुसार, अपिब उम्मीदवारों द्वारा गैर-क्रीमी लेयर की घोषणा।
- 17.6 अनुलग्नक-।।। के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाणपत्र।
- 17.7 भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवा मुक्त करने का मूल प्रमाण पत्र।
- 17.8 आधार कार्ड के दोनो तरफ की फोटो कॉपी
- 17.9 अनुलग्नक V(क), V(ख), V(ग) यथा लागू, के अनुसार, दिव्यांगों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- 17.10 सेवारत कर्मचारियों के लिए नियुक्ति की तिथि से एन ओ सी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 17.11 सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए सेवा मुक्त करने की संभावित तिथि के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 17.12 अनुलग्नक-IV के अनुसार गैर-अदालती स्टॉप पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा।
- 17.13 पैरा 1.7 के अनुसार नाम में औपचारिक बदलाव के मामले में सरकारी अधिसूचना और/या कोई कानूनी दस्तावेज।
- 17.14 एसबीआई शाखा में चालान द्वारा भुगतान करने के मामले में भुगतान की रसीद या कंप्यूटरीकृत डाक घर की पे-इन-स्लिप।
- 17.15 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्व-प्रमाणन।
- 17.16 जम्मू एवं कश्मीर डोमसाइल प्रमाणपत्र।
- 17.17 सक्षम न्यायालय से तलाक/कानूनी वियोजन का आदेश (डिक्री) यथा लागू और शपथ पत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- 17.18 विधवा उम्मीदवार के मामले में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथपत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- 17.19 भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने इस सीईएन के जवाब में आवेदन करने बाद सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्यभार संभालने के बाद जल्द से जल्द अपने नियोक्ता को इस सीईएन के तहत किए गए अपने आवेदन के विवरण के बारे में एक स्व-घोषणा देनी चाहिए। इस घोषणा की पावती की प्रति के साथ सिविल नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाणपत्र को दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
टिप्पणी 1: उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं/या उम्र में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी का अपेक्षित/संबंधित मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिब-गैर-क्रीमी लेयर/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग स्थिति/स्टेटस के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन पर अनारक्षित श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे इसके तहत पात्र हों। प्रमाण पत्र अनुलग्नक में दिए गए फार्मेट के अनुसार होने चाहिए।
टिप्पणी 2: शैक्षिक प्रमाण पत्र यथा अंतिम या नियमित मेट्रिकुलेशन/ आईटीआई/ एनटीसी/ एनएसी में जारी करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि, अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद की है तो अंतिम क्वालीफाइंग परीक्षा की घोषणा की तिथि के साथ समेकित अंक तालिका या प्रत्येक सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा की तिथि के साथ सभी सेमेस्टर्स की अलग-अलग अंक तालिकाएं प्रस्तुत करनी होंगी। इन प्रमाणपत्रों पर तिथि नहीं होने के मामले में, इस संबंध में तकनीकी बोर्ड/परिषद(एनसीवीटी/एससीवीटी)/यूनिवर्सिटी से परिणाम की घोषणा की तिथि वाला प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 18.0 तथ्यों को छिपाना - चेतावनी:
- 18.1 यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधन का इस्तेमाल करत हुऐ, परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी जगह पर किसी अन्य को भेजने, भेष बनाने का प्रयास करते हुए पाया जाता है तो उस पर आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा और यदि उसकी नियुक्ति हो चुकी है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 18.2 आरआरबी को कोई झूठी सूचना देने या किसी भी चरण में कोई सूचना जानबूझ कर छिपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा और रेलवे या किसी सरकारी सेवा में किसी भी नियुक्ति हेतु चयन या परीक्षा या में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाएगा और यदि नियुक्ति हो चुकी है तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 18.3 यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार की पात्रता हासिल करने और/या परीक्षा में शामिल होने के लिए निःशुल्क यात्रा सहित सुविधा प्राप्त करने के लिए फर्जी/नकली प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करता है उस भर्ती विशेष, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। इसके अलावा, उसे देशभर में आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से 2 वर्ष/जीवनभर, उचित जो समझा जाए, को प्रतिबंधित किया जाएगा और यदि न्यायसंगत हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- 18.4 उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित में कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव का इस्तेमाल या प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- 19.0 विविध:-
- 19.1 आरआरबी को किसी भी चरण में अतिरिक्त सीबीटी/पीईटी/दस्तावेज सत्यापन (यथा लागू) कराने का अधिकार है। आरआरबी को कोई भी कारण बताए बगैर इस सीईएन में अधिसूचित श्रेणियों में से किसी श्रेणी के लिए किसी भी चरण में किसी भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा या उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार है।
- 19.2 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार करने या निरस्त करने, निःशुल्क रेल पास जारी करने, झूठी सूचना के लिए दंडात्मक कार्यवाही करने, रिक्तियों में बदलाव करने, चयन के तरीके, सीबीटी का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में आर आर बी का निर्णय अंतिम होगा और यह सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर आरआरबी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

- 19.3 आरआरबी असावधानीवश हुई किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 19.4 इस सीईएन के कारण उत्पन्न किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण होगा, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी स्थित है।
- 19.5 व्याख्या के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, रोजगार समाचार और रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों में यथा प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।
- 20.0 विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों का ब्योरा, उनका वेबसाइट पता नीचे दर्शाया गया है :-

रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट पता और दूरभाष संख्या	प्रदेशिक भाषा का चयन (हिंदी , अंग्रेजी तथा उर्दू के अतिरिक्त)
अहमदाबाद	www.rrbahmedabad.gov.in दूरभाष: 079-22940858	गुजराती, मराठी
अजमेर	www.rrbajmer.gov.in दूरभाष: 0145- 2425230	गुजराती, पंजाबी
इलाहाबाद	www.rrbald.nic.in दूरभाष: 0532-2224531	—
बैंगलूरु	www.rrbnc.gov.in दूरभाष: 080-23330378	कन्नड, तमिल, तेलुगु, मराठी, कोंकणी
भोपाल	www.rbbpl.nic.in दूरभाष: 755-2746660	गुजराती
भुवनेश्वर	www.rbbbs.gov.in दूरभाष: 0674-2303015	उडिया , तेलुगु
बिलासपुर	www.rbbilaspur.gov.in दूरभाष: 07752-247291	मराठी , उडिया
चंडीगढ़	www.rrbcdg.gov.in दूरभाष: 0172-2730093	पंजाबी
चैन्ने	www.rrbchennai.gov.in दूरभाष: 044-28275323	तमिल, तेलुगु
गोरखपुर	www.rrbgkp.gov.in दूरभाष: 0551-2201209	—
गुवाहाटी	www.rrbguwahati.gov.in दूरभाष: 0361-2540815	असामी, बंगाली, मणिपुरी
कोलकत्ता	www.rrbkolkata.gov.in दूरभाष: 033-25430108	बंगाली
मुंबई	www.rrbmumbai.gov.in दूरभाष: 022-23090422	मराठी, गुजराती, कन्नड
पटना	www.rrbpatna.gov.in दूरभाष: 0612-2677680	—
रांची	www.rbranchi.gov.in दूरभाष: 0651-2462429	उडिया, बंगाली
सिकंदराबाद	www.rrbsecunderabad.nic.in दूरभाष: 040-27821663	तेलुगु, मराठी, कन्नड तथा उडिया

- 21.0 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) में इस्तेमाल हुई संक्षिप्तियां

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, डीवी = दस्तावेज सत्यापन पीई = शारीरिक दक्षता परीक्षण
आरक्षण/आयु में छूट वर्ग	सीसीए = कोर्स कॉम्प्लिटेड एक्ट एप्रेंटिस, भू.सं. = भूतपूर्व सैनिक, अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, अ.ना. = अनारक्षित (सामान्य),
दिव्यांग	एचएच = श्रवण बाधिता, एलवी = कमजोर दृष्टि, ओएच = अस्थिरोग विकलांगता, ओएल = एक पैर, पीडब्ल्यूडी = दिव्यांग, वीएच = दृष्टि बाधित
रेलवे जोन/संगठन	म.रे. = मध्य रेलवे, पू.म.रे. = पूर्व मध्य रेलवे, पू.त.रे. = पूर्व तटीय रेलवे, पू.रे. = पूर्व रेलवे, उ.रे. = उत्तर रेलवे, उ.म.रे. = उत्तर मध्य रेलवे, पू.रे. = पूर्वोत्तर रेलवे, पू.सी.रे. = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उ.प.रे. = उत्तर पश्चिम रेलवे, आरआरबी = रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी = रेलवे भर्ती कक्ष , द.रे. = दक्षिण रेलवे, द.म.रे. = दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे. = दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे. = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे. = दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे. = पश्चिम रेलवे, प.म.रे. = पश्चिम मध्य रेलवे
सामान्य	सीईएन = केंद्रीयकृत रोजगार सूचना
संस्थान/परिषद्/प्रमाणपत्र	आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनएसी = राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र, एनटीसी = राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र, एनसीवीटी- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् , एससीवीटी = राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्,

चेतावनी:

- प्रभाव दिखाकर या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे ने इस हेतु किसी एजेंट या कोचिंग केंद्र की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से परामर्श लेने और अनैतिक तत्वों/दलालों द्वारा बनाई गई जाली वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/श्रीमती/कुमारी*.....सुपुत्र/सुपुत्री*.....गांव/शहर.....
...../जिला/डिवीजन*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....जाति*/जनजाति से संबंधित है, जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है:- (लागू होने वाला एक टिक करे)

- * संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950,
- * संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950,
- * संविधान (अनुसूचित जाति)(संघ राज्य क्षेत्र)(भाग ग राज्य) आदेश, 1951,
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951,
- [अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सूची (आशोधन) आदेश, 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956,
- * संविधान (अदमान व निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित *जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित,
- * संविधान (दादरा व नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962,
- * संविधान (दादरा व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962,
- * संविधान (पोंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964,
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967,
- * संविधान (गोवा, दमन व डियू) अनुसूचित जाति आदेश, 1968,
- * संविधान (गोवा, दमन व डियू) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968,
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970,
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978,
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978,
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989,
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990,
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991,
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996,
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002,
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002,
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002,

2. एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू है।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*.....के पिता/माता*.....श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी.....गांव/शहर*.....जिला/डिवीजन*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो जाति*/जनजाति से संबंधित है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....में द्वारा दिनांक.....को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/अथवा* उसका परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....के.....जिला/डिवीजन*.....गांव/शहर * में सामान्यतः निवास करते हैं।

* जो लागू नहीं है कृपया उसे काट दें न होने वाले शब्दों को काट दें।

@ कृपया राष्ट्रपति आदेश का सटीक हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को काट दें।

नोट: (क) यहां इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः निवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। प्राधिकृत अधिकारी जाति/जन जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उप आयुक्त/अपर उप आयुक्त /उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
3. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से कम रैंक का न हो।
4. उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
5. केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिस से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।
6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्कादीव, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीप)।

स्थान

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

ओबीसी प्रमाण पत्र प्रारूप

भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले पिछड़े वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री.....गांव/शहर.....जिला/डिवीजन.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....
.....समुदाय से संबंध रखता है/रखती है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या.....दिनांक.....* के
अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/या उसका परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/डिवीजन..... में सामान्यतः निवास करता
है/करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी), दिनांक
8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग (नवोन्नत वर्ग) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या
36033/1/2013-स्थापना (आरईएस), दिनांक 27.05.2013 और 13.09.2017* द्वारा आशोधित, से संबद्ध नहीं है।

तारीख:

जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त आदि

(मुहर)

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

*समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट: यहां इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

घोषणा

रोजगार सूचना संख्या सीईएन 2/2018 के पदों के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जाने वाली

घोषणा का प्रोफार्मा

“मैं, ...सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....गांव/शहर.....जिला.....राज्य.....एतद्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं समुदाय (अपनी उप-जाति का उल्लेख करें) से संबद्ध रखता हूं/रखती हूं जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.03.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2003-स्थापना (आरईएस), दिनांक 27.05.2013 और 13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) से संबद्ध नहीं हूं।

स्थान:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख:

उम्मीदवार का नाम

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाण पत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या सीईएन 2/2018 के पदों के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क छूट की घोषणा का प्रोफार्मा

1. उम्मीदवार का नाम:
2. पिता का नाम:
3. आयु:
4. आवासीय पता:
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में):

दिनांक

हस्ताक्षर:

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर:

नाम:

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय 50,000/-रुपये प्रतिवर्ष से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद उनके अपने चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए है। (3) किसी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है। (5) उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहां राज्य सभा का वर्तमान सदस्य सामान्यतः निवास करता है।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या सीईएन 2/2018 के पदों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों

द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय जमा कराए जाने वाला

परीक्षा शुल्क से छूट की घोषणा का प्रोफार्मा

"मैं, ... सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी गांव/शहर/नगर.....जिला.....राज्य.....एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं..... (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन (पारसी) से संबद्ध रखता हूं/रखती हूं।

तारीख:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान:

उम्मीदवार का नाम

नोट: परीक्षा फीस की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/ जोरोस्ट्रियन (पारसी)) से संबद्ध रखता है/रखती है।

दिव्यांग प्रमाण पत्र

फॉर्म-2

(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा मारने या नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 4 देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटोग्राफ, जिसमें केवल उसका चेहरा दिखाया गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म तिथि(तारीख/महीना/वर्ष).....आयु.....वर्ष.....
.....पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्या.....स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है। मैं आश्वस्त हूँ कि:

(क) वह:

*लोकोमोटिव अपंगता

*नेत्रहीनता से ग्रस्त है

(जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगाएँ)

(ख) उसकी अपंगता का निदान.....है।

(1) दिशानिर्देशों के अनुसार (उल्लेख किया जाए) उसके(शरीर का अंग) में की स्थायी शारीरिक अपंगता/नेत्रहीनता.....प्रतिशत (अंकों में).....
प्रतिशत (शब्दों में) है।

आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

दिव्यांग प्रमाण पत्र

फॉर्म- III

(एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
(नियम 4 देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में
खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का
प्रमाणित फोटोग्राफ, जिसमें केवल
उसका चेहरा दिखाया गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या:

दिनांक:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म तिथि (तारीख/महीना/वर्ष).....आयु.....
वर्ष..... पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्या.....स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/गांव/गली.....का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका
फोटो ऊपर चिपकाया गया है। हम संतुष्ट हैं कि:

(क) वह एक से अधिक अपंगता से ग्रस्त है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/अपंगता की सीमा का नीचे चिह्नित अपंगताओं व दी गई तालिका में दर्शायी गई अपंगता का
दिशानिर्देशों के अनुसार (उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है:

क्रमांक	अपंगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक अपंगता (प्रतिशतता)
1	लोकोमोटिव अपंगता	@		
2	कमजोर दृष्टि	#		
3	नेत्रहीनता	दोनों आंख		
4	श्रवण बाधा	£		
5	मानसिक मंदन	X		
6	मानसिक रोग	X		

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है:

अंकों में.....प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. यह दशा बढ़ रही है/नहीं बढ़ रही है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. अपंगता का पुनर्मूल्यांकन:

1) जरूरी नहीं है, या

2) वर्ष.....माह के बाद सिफारिश की जाती है, इसलिए उनका प्रमाण पत्र.....(तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

अर्थात् एक आंख/दोनों आंख

£ अर्थात् बायां/दायां/दोनों कान

4 आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

--	--	--

सदस्य का नाम व मुहर

सदस्य का नाम व मुहर

अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाण पत्र जारी
किया गया है

दिव्यांग प्रमाण पत्र

फॉर्म-4

(फॉर्म 2 और 3 में किए गए उल्लेख के अलावा अन्य स्थितियों में)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

(नियम 4 देखें)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटोग्राफ, जिसमें केवल उसका चेहरा दिखाया गया हो।

प्रमाण पत्र संख्या:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म तिथि (तारीख/महीना/वर्ष).....आयु.....वर्ष,..... पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्या.....स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/गांव/गली.....का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, और मैं आश्वस्त हूँ कि उसका मामला.....अपंगता का है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/अपंगता की सीमा का नीचे चिह्नित अपंगताओं व दी गई तालिका में दर्शायी गई अपंगता के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार (उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है:

क्रमांक	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक अपंगता (प्रतिशतता)
1	लोकोमोटिव अपंगता	@		
2	कमजोर दृष्टि	#		
3	नेत्रहीनता	दोनों आंख		
4	श्रवण बाधा	£		
5	मानसिक मंदन	X		
6	मानसिक रोग	X		

(जो अपंगता लागू न हो उसे काट दें)

2. उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/नहीं बढ़ रही है /सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

1) जरूरी नहीं है, या

2) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है, और इसलिए उनका प्रमाणपत्र.....(तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

अर्थात् एक आंख/दोनों आंख

£ अर्थात् बायां/दायां/दोनों कान

4 आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा
(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर) (नाम और मुहर)	प्रतिहस्ताक्षर (सीएमओ/चिकित्सा प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर) प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने की स्थिति में सरकारी अस्पताल के अधीक्षक/प्रमुख (मुहर सहित)	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

ध्यान दें: प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने की स्थिति में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करने पर ही वैध होगा। प्रमुख नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस.ओ. 908 (इ) दिनांक 31 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित किया गया है।

दृष्टि अपंगता और सेरेब्रल पाल्सी या मांशपेशीय कमजोरी के कारण, जिनकी लेखन गति प्रभावित हो और एक हाथ वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

उम्मीदवार द्वारा व्यवस्था की गई संभावित स्काइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. उम्मीदवार की जन्म तिथि.....
3. लिखने वाले का नाम
4. लिखने वाले के पिता का नाम
5. लिखने वाले का पता.....
(क) स्थायी पता.....
(ख) वर्तमान पता.....
6. लिखने वाले की शैक्षणिक योग्यता.....
7. लिखने वाले का उम्मीदवार के साथ संबंध, यदि कोई हो.....

पंजीकरण संख्या
लिखने वाले का हाल ही में खिंचाया 3.5 सेमी X 4.5 सेमी आकार का रंगीन फोटोग्राफ, जो तीन महीने से ज्यादा पुराना न हो
लिखने वाले के हस्ताक्षर

8. घोषणा:
हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त ब्योरा सत्य है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों/लिखने वाले के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती बोर्ड के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है/हमें पढ़कर सुना दिए गए हैं और एतद्वारा उनके पालन का वचन देते हैं। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि लिखने वाला व्यक्ति खुद इस सीईएन में उम्मीदवार नहीं है। इसके अलावा, इस सीईएन की किसी भी सीबीटी में उसने किसी अन्य उम्मीदवार के लिए लिखने का काम नहीं किया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(स्काइब के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बॉक्स में उम्मीदवार के बायें अंगूठे की छाप	उपर्युक्त बॉक्स में स्काइब बायें अंगूठे की छाप
---	---

सी ई एन 2/2018-पद मापदंड

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	चिकित्सा मानक	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता			न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
				बीएच	ओ एच	एच एच	
1	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल (वर्कशॉप)	इलेक्ट्रिकल	सी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	10वीं उत्तीर्ण एवं एनसीवीटी द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र (एनएसी) (या) 10वीं उत्तीर्ण एवं एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं से आईटीआई
2	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/एसी	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पॉवर	इलेक्ट्रिकल	बी 2	नहीं	ओ एल	एच एच	
5	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ट्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
7	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
8	हेल्पर/ब्रीज	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	
9	हेल्पर/सिविल	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	
10	हेल्पर/सिविल (वर्कशॉप)	इंजीनियरिंग	सी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
11	हेल्पर/पि.वे	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	
12	हेल्पर/ट्रैक मशीन	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
13	हेल्पर/वर्कस्	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	
15	हेल्पर/मैकेनिकल	मैकेनिकल	सी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
16	हेल्पर/ मैकेनिकल /कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
17	हेल्पर/ मैकेनिकल /डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
18	हेल्पर/ मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
19	हेल्पर मैकेनिकल(पॉवर)	मैकेनिकल	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
20	हेल्पर/एस एंड टी	एस एंड टी	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	10वीं उत्तीर्ण (या) एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं से आईटीआई (या) समतुल्य (या) एनसीवीटी द्वारा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र (एनएसी)
21	हेल्पर/एस एंड टी (वर्कशॉप)	एस एंड टी	सी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
23	हेल्पर/टेलिकम्युनिकेशन	एस एंड टी	बी 1	नहीं	ओ एल	एच एच	
24	हेल्पर/मेडिकल	मेडिकल	सी 1	एल बी	ओ एल	एच एच	
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	सी 1	एल बी	ओ एल	एच एच	
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	ए 2	नहीं	नहीं	नहीं	
27	गेटमैन	ट्रेफिक	ए 2	नहीं	नहीं	नहीं	
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	ए 2	नहीं	नहीं	नहीं	

सी ई एन 2/2018-रिक्ति तालिका
रे.भ.बो. तथा रेलवे वार रिक्तियों का विवरण

रे.भ.बो. : अहमदाबाद (पश्चिम रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/एसी	इलेक्ट्रिकल	86	28	30	78	222	44	44	0	11	18
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	74	23	12	41	150	30	30	0	7	13
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पॉवर	इलेक्ट्रिकल	18	6	8	15	47	10	10	0	3	4
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	54	17	9	31	111	22	22	0	5	11
7	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	53	14	9	27	103	20	20	0	5	10
8	हेल्पर/ब्रीज	इंजीनियरिंग	106	32	15	55	208	42	42	0	0	0
11	हेल्पर/पि.वे	इंजीनियरिंग	51	15	7	29	102	20	20	0	0	0
12	हेल्पर/ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	21	6	3	11	41	8	8	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1441	423	210	757	2831	566	566	0	0	0
16	हेल्पर/मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	411	122	60	221	814	163	163	0	40	72
17	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	31	10	5	17	63	13	13	0	3	5
18	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	24	8	3	14	49	10	10	0	2	5
20	हेल्पर/एस एंड टी	एस एंड टी	204	56	35	101	396	79	79	0	18	35
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	12	4	2	6	24	5	5	0	1	2
24	हेल्पर/मेडिकल	मेडिकल	7	2	1	3	13	2	2	1	0	0
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	3	1	0	2	6	1	1	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	359	104	53	191	707	141	141	0	0	0
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	101	30	15	54	200	40	40	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		3056	901	477	1653	6087	1216	1216	1	95	175

रे.भ.बो. : अजमेर (उत्तर पश्चिम रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/एसी	इलेक्ट्रिकल	28	8	4	15	55	11	11	0	1	1
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	259	77	38	137	511	102	102	0	3	0
5	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ड्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	3	1	1	2	7	1	1	0	0	0
9	हेल्पर/सिविल	इंजीनियरिंग	12	3	1	1	17	3	3	0	0	0
12	हेल्पर/ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	15	0	1	0	16	3	3	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1541	430	222	705	2898	492	492	0	0	0
16	हेल्पर/मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	203	59	29	109	400	79	79	0	3	0
17	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	11	3	2	6	22	4	4	0	0	0
18	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	18	5	4	10	37	7	7	0	1	0

रे.भ.बो. : अजमेर (उत्तर पश्चिम रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	हेल्पर/एस एंड टी	एस एंड टी	56	16	6	28	106	21	21	0	1	0
22	हेल्पर/ सिग्नल	एस एंड टी	9	2	2	4	17	3	3	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	218	64	32	116	430	86	86	0	0	0
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	120	36	18	65	239	48	48	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		2493	704	360	1198	4755	860	860	0	9	1

रे.भ.बो. : इलाहाबाद (उत्तर मध्य रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/एसी	इलेक्ट्रिकल	2	1	0	1	4	1	1	0	0	0
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	48	13	6	3	70	14	14	0	0	0
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पॉवर	इलेक्ट्रिकल	29	9	5	16	59	12	12	0	1	0
5	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ट्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	8	3	1	4	16	3	3	0	1	0
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	90	28	11	29	158	32	32	0	3	1
7	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	98	30	10	31	169	33	33	0	2	1
8	हेल्पर/ब्रीज	इंजीनियरिंग	30	8	11	9	58	12	12	0	0	0
11	हेल्पर/पि.वे	इंजीनियरिंग	11	3	2	4	20	4	4	0	0	0
13	हेल्पर/ वर्कर्स	इंजीनियरिंग	76	23	11	41	151	30	30	0	3	2
14	ट्रेक मैनटेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1297	376	188	648	2509	502	502	0	0	0
16	हेल्पर/मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	202	59	30	108	399	80	80	0	0	0
18	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	30	9	4	16	59	12	12	0	0	0
19	हेल्पर मैकेनिकल (पॉवर)	मैकेनिकल	3	1	0	2	6	1	1	0	0	0
20	हेल्पर/एस एंड टी	एस एंड टी	93	26	0	23	142	28	28	0	0	0
22	हेल्पर/ सिग्नल	एस एंड टी	45	14	7	24	90	18	18	0	3	0
23	हेल्पर/टेलिकम्यूनिकेशन	एस एंड टी	23	7	4	13	47	10	10	0	1	0
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	26	8	8	12	54	10	10	0	1	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	386	104	49	143	682	136	136	0	0	0
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	36	14	5	14	69	14	14	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		2533	736	352	1141	4762	952	952	0	15	4

रे.भ.बो. : बेंगलूरु (दक्षिण पश्चिम रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	51	15	8	27	101	20	20	0	2	1
6	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	19	5	3	10	37	7	7	0	0	0
12	हेल्पर/ ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	4	12	3	17	36	7	7	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	702	209	104	373	1388	278	278	0	0	0
16	हेल्पर/ मैकेनिकल/ कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	208	50	20	80	358	72	72	0	1	1
17	हेल्पर/ मैकेनिकल/ डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	9	3	2	5	19	3	3	0	2	1
18	हेल्पर/ मैकेनिकल/ डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	8	3	1	5	17	3	3	0	2	1
20	हेल्पर/ एस एंड टी	एस एंड टी	31	9	5	15	60	12	12	0	3	1
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	5	1	1	2	9	2	2	3	3	3
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	119	34	17	62	232	46	46	0	0	0
28	पोर्टर/ हमाल/ स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	28	5	3	0	36	7	7	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		1184	346	167	596	2293	457	457	3	13	8

रे.भ.बो. : भोपाल (पश्चिम मध्य रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ एसी	इलेक्ट्रिकल	10	2	4	6	22	4	4	0	0	0
3	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	23	7	4	13	47	9	9	0	0	0
4	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ पॉवर	इलेक्ट्रिकल	17	2	5	11	35	7	7	0	0	0
6	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	40	13	12	28	93	18	18	0	0	0
7	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	1	0	4	0	5	1	1	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1031	306	153	551	2041	408	408	0	0	0
16	हेल्पर/ मैकेनिकल/ कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	290	79	69	175	613	122	122	0	0	0
20	हेल्पर/ एस एंड टी.	एस एंड टी	53	14	10	31	108	21	21	0	1	0
22	हेल्पर/ सिग्नल	एस एंड टी	50	15	7	26	98	20	20	0	0	0
24	हेल्पर/ मेडिकल	मेडिकल	0	1	1	1	3	1	1	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	138	18	9	55	220	44	44	0	0	0
28	पोर्टर/ हमाल/ स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	119	36	18	64	237	47	47	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		1772	493	296	961	3522	702	702	0	1	0

रे.भ.बो : भुवनेश्वर (पूर्व तटीय रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ एसी	इलेक्ट्रिकल	1	3	6	2	12	2	2	0	0	0
5	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ ट्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	9	3	7	4	23	4	4	0	0	0
7	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	53	19	14	7	93	18	18	0	3	0
12	हेल्पर/ ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	14	5	3	1	23	5	5	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	502	139	65	231	937	187	187	0	0	0
16	हेल्पर/ मैकेनिकल/ कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	78	38	40	27	183	37	37	0	0	0
17	हेल्पर/ मैकेनिकल/ डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	1	0	1	1	3	1	1	0	0	0
18	हेल्पर/ मैकेनिकल/ डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	2	1	2	2	7	1	1	0	0	0
22	हेल्पर/ सिग्नल	एस एंड टी	25	9	5	17	56	11	11	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	38	11	6	21	76	15	15	0	0	0
28	पोर्टर/ हमाल/ स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	60	17	9	33	119	24	24	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		783	245	158	346	1532	305	305	0	3	0

रे.भ.बो : बिलासपुर (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	3	3	1	1	8	2	2	0	0	2
4	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ पावर	इलेक्ट्रिकल	12	4	2	7	25	5	5	0	0	0
6	हेल्पर/ इलेक्ट्रिकल/ टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	7	0	1	9	17	3	3	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	449	135	68	243	895	179	179	0	0	0
16	हेल्पर/ मैकेनिकल/ कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	60	15	9	29	113	23	23	0	1	0
17	हेल्पर/ मैकेनिकल/ डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	3	1	0	2	6	1	1	0	0	0
20	हेल्पर/ एस एंड टी	एस एंड टी	7	1	1	4	13	3	3	0	0	0
22	हेल्पर/ सिग्नल	एस एंड टी	13	3	2	12	30	6	6	0	1	0
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	11	2	0	4	17	3	3	0	0	0
28	पोर्टर/ हमाल/ स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	22	4	3	6	35	7	7	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		587	168	87	317	1159	232	232	0	2	2

रे.भ.बो : चंडीगढ़ (उत्तर रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू.सँ	सीसीए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल (कार्यशाला)	इलेक्ट्रिकल	16	4	2	8	30	4	4	0	1	0
2	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/एसी	इलेक्ट्रिकल	27	8	4	15	54	10	10	0	1	1
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	121	35	17	64	237	46	46	0	3	3
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पॉवर	इलेक्ट्रिकल	2	1	0	1	4	1	1	0	0	0
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	42	12	6	22	82	15	15	0	0	0
8	हेल्पर/ब्रीज	इंजीनियरिंग	89	26	13	47	175	35	35	0	0	0
11	हेल्पर/पि.वे	इंजीनियरिंग	11	2	2	6	21	4	4	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1965	584	294	1051	3894	777	777	0	0	0
15	हेल्पर/मैकेनिकल	मैकेनिकल	282	84	42	151	559	109	109	0	7	6
16	हेल्पर/मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	607	181	90	326	1204	239	239	0	0	0
17	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	19	6	3	10	38	6	6	0	1	0
18	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	77	23	11	41	152	29	29	0	4	0
19	हेल्पर मैकेनिकल (पावर)	मैकेनिकल	10	3	1	5	19	3	3	0	0	0
21	हेल्पर/एस एंड टी (वर्कशॉप)	एस एंड टी	42	12	6	22	82	16	16	0	1	1
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	96	29	13	50	188	36	36	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	347	104	54	187	692	137	137	0	0	0
27	गेटमैन	ट्रेफिक	132	39	21	69	261	52	52	0	0	0
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	70	21	11	38	140	28	28	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		3955	1174	590	2113	7832	1547	1547	0	18	11

रे.भ.बो : चेन्नै (दक्षिण रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू.सँ	सीसीए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/कर्षण	इलेक्ट्रिकल	69	18	20	38	145	29	29	0	1	0
7	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	91	27	14	48	180	36	36	0	3	2
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	952	279	170	458	1859	372	372	0	0	0
16	हेल्पर/मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	280	58	67	68	473	95	95	0	8	6
17	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	17	5	6	7	35	8	8	0	0	0
18	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	13	3	2	7	25	4	4	0	0	0
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	32	10	11	17	70	14	14	0	0	0
23	हेल्पर/टेलिकम्युनिकेशन	एस एंड टी	8	2	1	4	15	3	3	0	0	0
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	88	29	41	19	177	36	36	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		1550	431	332	666	2979	597	597	0	12	8

रे.भ.बो : गोरखपुर (उत्तर पूर्व रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रकितियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	85	23	25	33	166	33	33	0	1	1
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पॉवर	इलेक्ट्रिकल	48	14	7	26	95	19	19	0	1	1
5	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ ट्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	16	4	2	8	30	6	6	0	0	0
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	18	5	3	9	35	7	7	0	0	0
8	हेल्पर/ब्रीज	इंजीनियरिंग	15	5	2	8	30	6	6	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	909	271	135	486	1801	360	360	0	0	0
16	हेल्पर/ मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	163	48	24	86	321	64	64	0	1	1
17	हेल्पर/ मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	32	10	5	18	65	13	13	0	1	0
18	हेल्पर/ मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	7	2	1	4	14	3	3	0	0	0
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	47	11	19	60	137	27	27	0	1	0
24	हेल्पर/मेडिकल	मेडिकल	14	4	1	7	26	5	5	0	0	0
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	15	6	3	9	33	6	6	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	137	42	21	75	275	55	55	0	0	0
27	गेटमैन	ट्रेफिक	115	35	18	62	230	46	46	0	0	0
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	65	20	10	35	130	26	26	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		1686	500	276	926	3388	676	676	0	5	3

रे.भ.बो : गुवाहाटी (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रकितियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पॉवर	इलेक्ट्रिकल	38	12	6	20	76	15	15	0	0	3
5	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ट्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	36	11	5	20	72	14	14	0	0	2
8	हेल्पर/ब्रीज	इंजीनियरिंग	51	15	8	28	102	20	20	0	0	0
10	हेल्पर/संकर्म (वर्कशॉप)	इंजीनियरिंग	4	1	0	2	7	1	1	0	0	0
12	हेल्पर/ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	17	5	3	9	34	7	7	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	869	257	129	464	1719	345	345	0	0	0
15	हेल्पर/मैकेनिकल	मैकेनिकल	14	4	3	7	28	6	6	0	0	0
16	हेल्पर/ मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	22	7	4	12	45	9	9	0	0	1
22	हेल्पर/ सिग्नल	एस एंड टी	23	7	3	12	45	9	9	0	0	1
23	हेल्पर/ टेलिकम्युनिकेशन	एस एंड टी	15	3	1	6	25	5	5	0	0	0
24	हेल्पर/मेडिकल	मेडिकल	13	2	2	8	25	5	5	0	0	1
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	12	3	1	6	22	4	4	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	152	46	24	82	304	61	61	0	0	0
27	गेटमैन	ट्रेफिक	38	11	4	20	73	14	14	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		1304	384	193	696	2577	515	515	0	0	8

रे.भ.बो : कोलकता (पूर्व रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सैं	सीसीए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	3	2	4	10	19	4	4	0	0	0
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	5	8	4	13	30	6	6	0	0	1
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1066	319	163	580	2128	426	426	0	0	0
20	हेल्पर/एस एंड टी	एस एंड टी	25	7	13	25	70	14	14	0	0	0
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	4	5	5	0	14	2	2	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	38	10	11	17	76	15	15	0	0	0
27	गेटमैन	ट्रेफिक	10	3	2	7	22	4	4	0	0	0
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	4	1	1	2	8	2	2	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		1155	355	203	654	2367	473	473	0	0	1

रे.भ.बो : मुंबई (मध्य रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सैं	सीसीए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	53	8	9	25	95	19	19	0	4	11
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पॉवर	इलेक्ट्रिकल	38	11	6	20	75	15	15	0	3	3
5	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ ट्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	81	19	14	42	156	31	31	0	10	8
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	157	47	29	104	337	67	67	0	0	0
7	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	108	30	19	60	217	43	43	0	6	4
11	हेल्पर/पि.वे	इंजीनियरिंग	16	5	2	8	31	6	6	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1114	328	164	594	2200	440	440	0	0	0
16	हेल्पर/ मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	282	86	67	147	582	116	116	0	5	11
17	हेल्पर/ मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	1	1	2	1	5	1	1	0	1	0
18	हेल्पर/ मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	31	9	5	15	60	12	12	0	9	0
20	हेल्पर/एस एंड टी	एस एंड टी	34	10	6	18	68	14	14	0	3	2
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	14	4	2	6	26	5	5	0	0	0
24	हेल्पर/मेडिकल	मेडिकल	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	51	14	17	12	94	19	19	5	6	6
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	340	103	51	184	678	136	136	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		2321	675	393	1236	4625	924	924	5	47	45

रे.भ.बो : पटना (पूर्व मध्य रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल (वर्कशॉप)	इलेक्ट्रिकल	8	2	2	4	16	3	3	0	0	0
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	23	7	3	12	45	9	9	0	1	0
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पावर	इलेक्ट्रिकल	82	24	12	43	161	33	33	0	3	2
5	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ट्रेन लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	35	11	5	19	70	14	14	0	1	1
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	52	15	9	28	104	20	20	0	2	2
7	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	24	8	4	14	50	10	10	0	1	1
8	हेल्पर/ब्रीज	इंजीनियरिंग	41	13	8	22	84	17	17	0	0	0
12	हेल्पर/ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	71	21	11	38	141	28	28	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1747	518	260	934	3459	693	693	0	0	0
15	हेल्पर/मैकेनिकल	मैकेनिकल	13	4	2	7	28	6	6	0	0	3 *
16	हेल्पर/मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	243	74	35	131	483	96	96	0	11	3
17	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	24	7	3	12	46	9	9	0	1	0
18	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	22	7	3	12	44	9	9	0	1	0
20	हेल्पर/एस एंड टी	एस एंड टी	9	3	1	6	19	4	4	0	0	0
21	हेल्पर/एस एंड टी (वर्कशॉप)	एस एंड टी	88	26	13	47	174	35	35	0	4	1
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	46	14	7	25	92	19	19	0	0	1
23	हेल्पर/टेलिकम्युनिकेशन	एस एंड टी	10	3	2	5	20	4	4	0	0	0
28	पोर्टर/हमाल/स्वीपर कम पोर्टर	ट्रेफिक	478	142	70	255	945	189	189	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		3016	899	450	1614	5981	1198	1198	0	25	14 *

* 2 एचएच बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं

रे.भ.बो : रांची (दक्षिण पूर्व रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीए **	वीएच	ओएच	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	13	8	3	12	36	7	7	0	0	0
4	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/पावर	इलेक्ट्रिकल	6	2	2	5	15	3	3	0	0	0
5	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ट्रेल लाइटिंग	इलेक्ट्रिकल	4	2	1	3	10	2	2	0	0	0
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	35	16	7	18	76	15	15	0	0	0
7	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	70	31	11	38	150	29	29	0	0	0
11	हेल्पर/पि.वे	इंजीनियरिंग	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0
12	हेल्पर/ट्रेक मशीन	इंजीनियरिंग	21	6	3	11	41	8	8	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	547	161	80	286	1074	215	215	0	0	0
16	हेल्पर/मैकेनिकल/कैरेज व वैगन	मैकेनिकल	192	83	44	116	435	87	87	0	0	0
17	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	11	3	1	5	20	4	4	0	0	0
18	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	15	4	1	7	27	5	5	0	0	0
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	59	19	9	27	114	23	23	0	0	0
23	हेल्पर/टेलिकम्युनिकेशन	एस एंड टी	17	5	3	10	35	7	7	0	0	0
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	6	0	0	1	7	1	1	0	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	241	85	32	123	481	96	96	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		1240	426	197	662	2525	503	503	0	0	0

रे.भ.बो : सिकंदराबाद (दक्षिण मध्य रेलवे)

कोटि सं.	पद का नाम	विभाग	रिक्तियों की संख्या									
			अ.आ	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.	कुल	भू सँ	सीसीएए **	वीए च	ओए च	एचएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/सामान्य सेवाएं	इलेक्ट्रिकल	85	23	13	44	165	32	32	0	9	9
6	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/ टीआरडी	इलेक्ट्रिकल	84	24	13	44	165	32	32	0	9	9
7	हेल्पर/इलेक्ट्रिकल/टीआरएस	इलेक्ट्रिकल	41	11	6	21	79	15	15	0	4	5
8	हेल्पर/ब्रीज	इंजीनियरिंग	59	19	8	33	119	23	23	0	0	0
11	हेल्पर/पि.वे	इंजीनियरिंग	95	28	14	51	188	35	35	0	0	0
14	ट्रेक मैन्टेनर ग्रेड IV	इंजीनियरिंग	1986	593	297	1064	3940	786	786	0	0	0
16	हेल्पर/ मैकेनिकल/कैरेंज व वैगन	मैकेनिकल	227	70	35	119	451	88	88	0	24	23
17	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल इलेक्ट्रिकल	मैकेनिकल	27	8	5	14	54	9	9	0	3	3
18	हेल्पर/मैकेनिकल/डीजल मैकेनिकल	मैकेनिकल	87	25	14	46	172	34	34	0	10	9
20	हेल्पर/एस एंड टी .	एस एंड टी	120	35	17	65	237	46	46	0	11	12
22	हेल्पर/सिग्नल	एस एंड टी	8	2	2	4	16	3	3	0	1	1
25	हॉस्पिटल अटेंडेंट	मेडिकल	27	8	4	14	53	10	10	53	0	0
26	सहायक पाइंट्समैन	ट्रेफिक	408	170	102	204	884	175	175	0	0	0
	रे.भ.बो कुल		3254	1016	530	1723	6523	1288	1288	53	71	71
	कुल योग		31889	9453	5061	16502	62907	12445	12445	62	316	351 *

* 2 एचएच बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं।

** सीसीएए के तहत रिक्तियां रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के लिए ही लागू है।